सेवामे,

श्रीमान लोकसूचना अधिकारी एवं जिला कलक्टर महोदया,

जिला-कोटपुतली-बहरोड़(राज.) |

विषय:--नागरिक सूचना अधिकार कानून 2005 (RTI) की धारा-6(1) के तहत सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु |

अन्दर्भ:--आपको प्रेषित राजस्व मंडल राजस्थान,अजमेर का आदेश क्रमांक:-राम/भू०अ०/ई-3/प-6(4)/2023/34546 दिनांक-19-10-2023 |

महोदया,

उपरोक्त विषय निवेदन है कि मैं एक वरिष्ठ नागरिक,RTI उपयोगकर्ता एवं विधि का छात्र हूँ |

1 यह कि तहसील बहरोड़,जिला- अलवर (वर्तमान में जिला- कोटपुतली-बहरोड़),राज. में कार्यरत रहे तत्कालीन पटवारियों श्री अमित कुमार यादव,श्री रामपत यादव और श्री मुनेश यादव ने जानबूझकर/बदनीयती/रिश्वत लेनें के उद्देश से राजस्व रिकॉर्ड में मेरा नाम गलत दर्ज कर दिया था |

2. यह कि श्रीमान उपखंड अधिकारी बहरोड़,जिला-अलवर (वर्तमान में जिला- कोटपुतली-बहरोड़),राज.ने अपनी विभागीय जांच आदेश क्रमांक विजा/2022/364 दिनांक-29-06-2022 (संलग्नक-A) के तहत उक्त तीनों पटवारिओं को दोषित करार दिया है |

3. यह कि उक्त तीनों पटवारिओं के विरुद्ध इस सम्बन्ध में पुलिस थाना बहरोड़ में FIR न.-0285/2022 धारा-420,467,468,471,120B (संलग्नक-B) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है,जो विचाराधीन है |

4. यह कि उक्त तीनों पटवारिओं के विरुद्ध इस सम्बन्ध में अभी तक कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की गई है |

5. यह कि श्रीमान तहसीलदार बहरोड़ ने अपने पत्र क्रमांक/एलआर/आरटीआई22/277 दिनांक-22-02-2022 (संलग्नक-C) के तहत मुझे सूचित किया है कि कुल 7172 मामले राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण के आयें है |

6. यह कि इस तरह राजस्व कार्मिक जानबूझकर/बदनीयती से/रिश्वत लेने के उद्देश से लोगों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज कर रहें हैं | इस तरह जब कोई व्यक्ति नाम शुद्धिकरण करने का दावा/मुकदमा करता है तो ये दावे राज्य सरकार के विरुद्ध होतें है जिसके कारण सरकार के विरुद्ध मुकदमों का अम्बार भी लग रहा है |

7. यह कि इस तरह यह मामला भ्रष्टाचार और व्यापक जनहित से जुड़ा हुआ है और आप जब तक दोषी राजस्व कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक यह सिल-सिला रुकने वाला नहीं है |

8. यह कि आपको प्रेषित राजस्व मंडल राजस्थान,अजमेर ने अपने आदेश क्रमांक:-राम/भू०अ०/ई-3/प-6(4)/2023/34546 दिनांक-19-10-2023(संलग्नक-D) के तहत आपसे उक्त सम्बन्ध में आग्रह किया है PTO

कि- “उक्त शिकायत में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में आपके स्तर पर 15 दिवस में प्राथमिक जाँच करवाएं एवं प्राथमिक जाँच में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर सम्बंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर प्रार्थी को अवगत कराते हुए मंडल को भी सूचित करें |”

अतः आपको प्रेषित राजस्व मंडल राजस्थान,अजमेर के आदेश क्रमांक:-राम/भू०अ०/ई-3/प-6(4)/2023/34546-47 दिनांक-19-10-2023 के अनुक्रम में आपसे निवेदन है कि आप मुझे निम्नलिखित प्रमाणित सूचनाएं बिन्दुवार रूप से RTI के धारा-6(1) के तहत उपलब्ध करवाने का श्रम करें, इस हेतु मैं 10/-रुपया का IPO न.-60F545047 संलग्न कर रहा हूँ | मेरी वांच्छित सूचनाएं निम्न प्रकार है ----------

1. आपको प्रेषित राजस्व मंडल राजस्थान,अजमेर के आदेश क्रमांक:-राम/भू०अ०/ई-3/प-6(4)/2023/34546-47 दिनांक-19-10-2023 पर आपने आज दिनांक तक जो कार्यवाही की है उसकी सूचना उपलब्ध करवाएं |

2. आपको प्रेषित राजस्व मंडल राजस्थान,अजमेर के आदेश क्रमांक:-राम/भू०अ०/ई-3/प-6(4)/2023/34546-47 दिनांक-19-10-2023 के सम्बन्ध में आपके कार्यालय में संधारित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रिलिलिपि उपलब्ध करवाएं |

3. आपको प्रेषित राजस्व मंडल राजस्थान,अजमेर के आदेश क्रमांक:-राम/भू०अ०/ई-3/प-6(4)/2023/34546-47 दिनांक-19-10-2023 के सम्बन्ध में आपके कार्यालय में संधारित सम्पूर्ण Note Sheet की प्रिलिलिपि उपलब्ध करवाएं |

4. आपको प्रेषित राजस्व मंडल राजस्थान,अजमेर के आदेश क्रमांक:-राम/भू०अ०/ई-3/प-6(4)/2023/34546-47 दिनांक-19-10-2023 के सम्बन्ध में आपने दोषी पटवारियों के विरुद्ध जो जाँच की है,उस जाँच की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं |

5. आपको प्रेषित राजस्व मंडल राजस्थान,अजमेर के आदेश क्रमांक:-राम/भू०अ०/ई-3/प-6(4)/2023/34546 दिनांक-19-10-2023 के सम्बन्ध में आपने दोषी पटवारियों के विरुद्ध जो कार्यवाही की है उसकी सूचना उपलब्ध करवाएं |

धन्यवाद |

भवदीय

हंसराज

हंसराम यादव पुत्र स्व.श्री मंगलराम,गांव-कल्याणपुरा,तहसील-बहरोड़,जिला-कोटपुतली-बहरोड़(राज.) |

पत्राचार का पता-हंसराम यादव,वार्ड न.-3,मु.पो.बनेठी,तहसील-कोटपुतली,जिला- कोटपुतली-बहरोड़(राज.) |

फोन-9928798668 E-mail-hansramyadav1959@gmail.com

क्रमांक:-RTI/2024/ 11 दिनांक-07-02-2024

RR353997776IN IVR:8282353997776
RL NAREDA SO (303105)
C ter No:1,07/02/2024,11:37
To:COLLECTOR,KOTPUTALI BEHROR
PIN:303108, Kotputli SO
F :HANS RAM YADAV,BANETHI
Wt:28gms,REG=17.0
Amt:31.86(Cash)Tax:4.86
C ck on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay

₹ 10 POSTAL ORDER
60F 545047
किसे अदा करना / To whom payable:
किस डाकघर में / At what Office:
क्या इसे क्रास किया है / Whether crossed:
भेजने की तारीख / Date sent: 07/02/24

Delivery Confirmation

राजस्थान सरकार

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक [illegible] / भू.अ. / ई–3 / प–8(4) / 2023 / [illegible] दिनांक– 17/10/23

जिला [illegible]क्टर (भू.अ.),

कोटपू[illegible]–बहरोड़।

विषयः– शिकायत विरुद्ध राजस्व कार्मिक, तहसील बहरोड, जिला कोटपूतली–बहरोड़।

[illegible]

[illegible] उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्व कार्मिक (पटवारी अमित कुमार यादव, रामप[illegible], मुनेश यादव), तहसील बहरोड, जिला कोटपूतली–बहरोड के विरुद्ध मण्डल को [illegible] शिकायत संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त शिकायत में अंकित तथ्यों के [illegible] आपके स्तर पर 15 दिवस में प्राथमिक जांच करवाए एवं प्राथमिक जांच में आरोप [illegible] पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर प्रार्थी को अवगत कर[illegible] मण्डल को सूचित करें।

संलग्न– [illegible]

भवदीया

उप निबंधक (भू.अ.)
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
दिनांक– 19/10/23

क्रमांक [illegible]

प्रतिलिपि [illegible] हरसाल यादव पुत्र श्री मंगलराम, गांव कल्याणपुरा, तहसील बहरोड, जिला कोटपूतली–बहरोड़ को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में अग्रिम पत्राचार जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड से करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।

उप निबंधक (भू.अ.)
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत
प्रमाणित प्रति

सहायक लोक सूचना अधिकारी
राजस्व मण्डल राज., अजमेर

RajKaj Ref
4925471

Signature valid
Digitally signed by S[illegible]a Yadav
Designation: Deputy Registrar
Date: 2023.[illegible] 8:58 IST
Reason: Appro[illegible]

1/1

https://rajoffice.rajasthan.gov.in/PageMapper?_targetPage=HomePage

सेवामे,

श्रीमान प्रथम विभागीय अपील अधिकारी महोदय,

कार्यालय–जिला कलक्टर,जिला-कोटपुतली-बहरोड़(राज.) |

विषय:-सूचना का अधिकार कानून 2005 (RTI) की धारा-19(1) के तहत प्रथम विभागीय अपील करने हेतु |

विरुद्ध:श्रीमान लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कलक्टर,जिला-कोटपुतली-बहरोड़(राज.) |

सन्दर्भ:- श्रीमान लोक सूचना अधिकारी(PIO) एवं जिला कलक्टर,जिला-कोटपुतली-बहरोड़(राज.) को आवेदित मेरा RTI आवेदन क्रमांक:-RTI/2024/11 दिनांक-07-02-2024 |

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैंने मेरे RTI आवेदन क्रमांक:-RTI/2024/11 दिनांक-07-02-2024 (संलग्नक-A) के द्व्यारा श्रीमान लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कलक्टर,जिला-कोटपुतली-बहरोड़(राज.) से 5 बिन्दुओं की सूचना की मांग की थी | यह सूचनाएं राजस्व मंडल राजस्थान,अजमेर के आदेश क्रमांक:-सम/भू0अ0/ई-3/प-6(4)2023/34546 दिनांक-19-10-2023(संलग्नक-B) के सम्बन्ध में थी | मेरा यह RTI आवेदन रजिस्टर्ड डाक क्रमांक-RR353997776IN के तहत श्रीमान PIO को दिनांक-09-02-2024 को प्राप्त हो चुका है | लेकिन श्रीमान PIO ने अभी तक न तो इस पर कोई विनिश्चय किया है और न ही मेरी वांच्छित सूचना उपलब्ध करवाई हैं जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में इसके विनिश्चय की समय सीमा 30 दिवस है |

अतः आपके यहाँ RTI की धारा-19(1) के तहत प्रथम विभागीय अपील कर निवेदन है कि आप श्रीमान लोक सूचना अधिकारी (PIO) एवं जिला कलक्टर,जिला-कोटपुतली-बहरोड़(राज.)से मेरे मूल RTI आवेदन क्रमांक:-RTI/2024/11 दिनांक-07-02-2024 में वांच्छित सभी 5 सूचनायें नि:शुल्क उपलब्ध करवाने का श्रम करें |

धन्यवाद |

भवदीय

हंसराम यादव पुत्र श्री मंगलराम,गांव-कल्याणपुरा,तहसील-बहरोड़, जिला-कोटपुतली-बहरोड़(राज.) |

पत्राचार का पता-हंसराम यादव,वार्ड न.-3,मु.पो.बनेठी,तहसील-कोटपुतली, जिला-कोटपुतली-बहरोड़(राज.) |

फोन-9928798668 E-mail-hansramyadav1959@gmail.com

क्रमांक:- RTI/2024/ 26 दिनांक-05-04-2024

RR 353999627 IN

RR353999627IN IVR:8282353999627
RL NAREDA SO <303105>
Counter No:1,06/04/2024,10:40
To:PRATHAM APEEL,JILA COLLECTOR
PIN:303108, Kotputli SO
From:HANS RAM YADAV,BANETHI
Wt:10gms,REG=17.0
Amt:25.96(Cash)Tax:3.96

भारतीय डाक

Delivery Confirmed on- 08/04/2024

File No-RIC/KTBH/A/2024/007826
सुनवाई दिनांक-13/08/2024

सेवामे,

श्रीमान मुख्य सूचना आयुक्त महोदय,

राजस्थान सूचना आयोग,जयपुर(राज.) |

विषय:-श्रीमान लोक सूचना अधिकारी (PIO) एवं जिला कलक्टर जिला-कोटपुतली-बहरोड़(राज.) के विरुद्ध RTI की धारा-19(3) के तहत दित्या अपील करने बाबत |

सन्दर्भ:-------1.श्रीमान (PIO) एवं जिला कलक्टर जिला-कोटपुतली-बहरोड़(राज.) को आवेदित मेरा RTI आवेदन क्रमांक:-RTI/2024/11 दिनांक-07-02-2024 |

2.श्रीमान PIO का जबाब-----RTI में निर्धारित 30 दिवस की अवधी में न कोई वांच्छित सूचनाएं उपलब्ध करवाई और न ही कोई विनिश्चय किया |

3.श्रीमान प्रथम विभागीय अपील अधिकारी को आवेदित मेरी प्रथम विभागीय अपील (FAA),क्रमांक:-RTI/2024/26 दिनांक-05-04-2024 |

4.श्रीमान FAA द्व्यारा विनिश्चय ---------- आज दिनांक तक न कोई विनिश्चय किया और न ही वांच्छित सूचनाएं उपलब्ध करवाई |

5. दित्या अपील दायर करने का कारण----श्रीमान PIO और FAA द्व्यारा आज दिनांक तक न कोई सूचनाएं उपलब्ध करवाना और न ही कोई विनिश्चय किया जाना |

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं एक वरिष्ठ नागरिक,RTI उपयोगकर्ता एवं विधि का छात्र हूँ | यह कि–

1. यह कि मैंने मेरे RTI आवेदन क्रमांक:-RTI/2024/11 दिनांक-07-02-2024 (संलग्नक-A) के द्व्यारा श्रीमान लोक सूचना अधिकारी(PIO) एवं जिला कलक्टर जिला कोटपुतली-बहरोड़ से 5.बिन्दुओं की सूचनाएं उपलब्ध करवाने की मांग की थी |

2. यह कि मेरी उक्त सूचनाएं श्रीमान राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के आदेश (संलग्नक-B)के सम्बन्ध में थी |

3. यह की श्रीमान PIO द्व्यारा RTI में निर्धारित 30 दिवस की अवधी में कोई जबाब नहीं दिये जाने के कारण मैंने मेरे आवेदन क्रमांक:-RTI/2024/26 दिनांक-05-04-2024 (संलग्नक-C) के तहत इस सम्बन्ध में प्रथम विभागीय अपील की (FAA) |

4.यह कि मेरा यह प्रथम विभागीय अपील आवेदन श्रीमान FAA को दिनांक-08-04-2024 को प्राप्त हो चुका है लेकिन उन्होंने भी आज दिनांक तक न तो मेरी वांच्छित सूचनाएं उपलब्ध करवाई हैं और न ही इस सम्बन्ध में कोई विनिश्चय किया है |

अतः RTI की धारा-19(3) के तहत आपके यहाँ दित्या अपील कर निवेदन है कि आप------- (P.T.O)

1. मेरे मूल RTI आवेदन क्रमांक:-RTI/2024/11 दिनांक-07-02-2024 में वांछित सभी 5.सूचनायें श्रीमान PIO एवं जिला कलक्टर जिला-कोटपुतली-बहरोड़(राज.)से निःशुल्क उपलब्ध करवाएं ।

2. प्रत्यर्थी पर RTI अधिनियम 2005 की धारा-20(1) के प्रावधान के मुताबिक़ 25000/-रूपये (पच्चीस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित फरमाई जाये ।

3. प्रत्यर्थी पर RTI अधिनियम 2005 की धारा-20(2) के प्रावधान के मुताबिक़ अनुशाश्नात्मक कार्यवाही किये जाने के आदेश फरमाएं जाये ।

4. प्रत्यर्थी एवं FAA की लापरवाही तथा हठधर्मिता के कारण अपीलार्थी को हुई अतिरिक्त धन एवं श्रम की हानि तथा सूचनाओं की नाजायज देरी से हुए मानसिक संताप पेटे दोषी प्रत्यर्थी एवं FAA से RTI अधिनियम 2005 की धारा-19(8)(ख) के प्रावधान के मुताबिक़ 500000/-रूपये (पांच लाख रूपये) की क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जाये ।

5.अन्य कोई विधिसम्मत सहायताएं जो माननीय न्यायालय अपीलार्थी के हक़ में न्यायोचित समझे,आदेशित फरमाने का श्रम करें ।

महोदय," जब तक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उपबंधों की अनुपालना समुचित रूप से नहीं की जायेगी,तब तक राजकीय समय और धन यों ही बर्बाद होता रहेगा,क्योंकि जो सूचना आज मैंने मांगी है,उसी सूचना को कल कोई अन्य नागरिक मांगेगा ।"

विशेष अनुरोध------ नहोदय, दोषी PIO एवं FAA को आप द्व्यारा दण्डित नहीं किये जाने कारण, उनमे सूचनाएं समय पर/ सूचनाएं नहीं दिए जाने कि प्रवृति बढती जा रही है जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है । अतः आपसे यह भी विशेष अनुरोध है कि आप दोषी PIO और FAA को निश्चित ही दण्डित करें ।

नोट---कागज के हर पेज का बेहतर उपयोग हो,पर्यावरण का संरक्षण हो और कागज निर्माण हेतु कम से कम पेड़ काटे जाएँ, इस कारण से मैंने उक्त दित्या अपील में कागज के दोनों और टाइप किया/फ़ोटोस्टेट लगाया है । अतः आपसे यह भी निवेदन है आप हर कागज के दोनों ओर से पढने का भी श्रम करें ।

धन्यवाद ।

भवदीय
हंसराम

हंसराम यादव पुत्र श्री मंगलराम,गांव-कल्याणपुरा,तहसील-बहरोड़,जिला-कोटपुतली-बहरोड़(राज.) ।
हंसराम यादव पुत्र श्री मंगलराम,गांव-कल्याणपुरा,तहसील-बहरोड़,जिला-कोटपुतली-बहरोड़(राज.) ।

पत्राचार का पता-हंसराम यादव,वार्ड न.-3,ग्रा.पो.बनेठी,तहसील-कोटपुतली,जिला-जयपुर(राज.) ।
फोन-9928798668 E-mail-hansramyadav1959@gmail.com

क्रमांक:-RTI/2024/41 दिनांक-27-05-2024

RR358455894IN

Transaction Date 27-05-2024
Transaction Time 10:15:41
Booking Office Banethi B.O
Booking Office PIN 303106
OPM SHIVDUTT Sharma
Article Number RR358455894IN
Service Regd. Letter
Weight 38
Payment Mode Cash
Prepaid 0.0
TAX 4
Paid Amount 3
Sender Name Hans Ram Yada
Addressee Name O.I.C.RAJASTHA
Delivery Office JAIP
Delivery Office Pincode 3020

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

Email- lr.dmkotputlibehror@gmail.com

क्रमांकः– भू.अ. / वि.जा. / 2024 / 2347 दिनांकः– 25-09.2024

श्री हंसराम यादव पुत्र श्री मंगलराम,
ग्राम कल्याणपुरा, तहसील बहरोड़,
जिला कोटपूतली–बहरोड़।

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना भिजवाने बाबत्।

प्रसंग :– राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर के पत्रांक रासूआ / निर्णय / RIC / KTBH / A / 2024 / 007826 दिनांक 14.08.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के क्रम में आप द्वारा चाही गई 5 बिन्दुओं की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कर भिजवाई जा रही है ।

संलग्नः– सत्यापित प्रतिलिपि ।

प्रभारी अधिकारी (भू.अ.)
कलक्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

क्रमांकः– भू.अ. / वि.जा. / 2024 / 2348-50 दिनांकः– 25-09.2024

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान सूचना आयुक्त महोदय, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, झालाना लिंक रोड़, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर को सादर सूचनार्थ।
2. श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय (RTI) कार्यालय हाजा ।
3. रक्षित पत्रावली ।

प्रभारी अधिकारी (भू.अ.)
कलक्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

Signature valid
Digitally signed by Brajesh Kumar
Designation: Sub Divisional Officer
Date: 2024.09.25 16:33:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10735152

Received on 05/10/24 – By – CR-344350683IN

कार्यालय जिला कलक्टर (भू. अ.) अलवर

कार्यालय टिप्पणी / NOTE SHEET

(1)

N/1 विषय :- तहसील बहरोड़ जिला अलवर (राज.) में पदस्थापित तत्कालीन पटवारियों श्री अनिल कुमार यादव, श्री रामपत सिंह यादव और श्री सुरेश यादव द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम चढ़ाने के कारण दोषी सिद्ध होने तथा निलंबित करने बाबत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने तथा FIR दर्ज करवाने हेतु।

महोदय जी

(1) शिकायतकर्ता श्री हेमराज यादव द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को शिकायत पत्र दि. 11/1/2022 प्रेषित कर तह. बहरोड़ में कार्यरत तत्कालीन पटवारी श्री अनिल कुमार यादव, श्री रामपत सिंह यादव, श्री सुरेश यादव के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम चढ़ाने के कारण दोषियों के विरुद्ध सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने बाबत पत्र प्राप्त हुआ है अवलोकन हेतु प्रस्तुत पत्रावली के सं.-?? में पत्र प्राप्त हुआ है अवलोकन फरमावे (ध्वज A)

(2) पैरा सं. N/1 में अंकित शिकायतकर्ता द्वारा श्रीमान उप शासन सचिव महोदय राजस्व विभाग को प्रेषित पत्र का उत्तर प्राप्त हुआ है प्राप्त पत्र क्रमांक 1130 दिनांक 18.2.22 से प्राप्त हुआ है। पैरा सं. 1 के अनुसार कार्यवाही चाही गई है अनुसार भी पैरा सं. 1 के पत्र का अवलोकन फरमावे (ध्वज B)

प्रकरण की जाँच रिपोर्ट SDO/TDR बहरोड़ से मंगवाये जाने बाबत पत्रावली अवलोकनार्थ आदेशार्थ सादर प्रस्तुत है।

सुनीता
7/3/2022

N/2 श्रीमान OIC (LR) महोदय
SDO बहरोड़ से रिपोर्ट ली जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जावे।

[signature]
7/3/22

N/3 महोदय

पैरा सं. 2 की पालना में SDO बहरोड़ को पत्र तैयार किया जाकर निर्णय/अवलोकनार्थ प्रस्तावित पत्रावली अनुमोदनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ सादर प्रस्तुत है।

सुनीता
7/3/2022

N/4 श्रीमान OIC (LR) महोदय,

[signature]
7.3.22

COMPARE BY
A.D.C.

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली-बहरोड़

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला कलक्टर (भू. अ.) अलवर

कार्यालय टिप्पणी / NOTE SHEET

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी

M/5 महोदय

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर तथा भू. अ. के पत्रांक ... दिनांक 18.4.2022 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना चाही जा रही है जिसमें बिन्दु संख्या 4 को छोड़कर शेष बिन्दु सं. 1, 2, 3, 5, 6 के सम्बन्ध में कार्यालय में संधारित दस्तावेज / पत्रावली की प्रति की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने बाबत सूचना चाही जा रही है। पत्रावली अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ सादर प्रस्तुत है। सुनीता

2/5/2022

[illegible]

M/6 श्रीमान O.I.C (L.R) Sir,

M/7 महोदय

प्रकरण में पैरा सं. M/3 व M/4 में दिये गये निर्देशों की पालना में SDO बहरोड़ का पत्रांक 102 दिनांक 10/5/22 से जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई है जो स्पष्ट नहीं है तथा साथ में संलग्न दस्तावेज प्राप्त नहीं है पत्रावली अवलोकनार्थ आदेशार्थ सादर प्रस्तुत है। सुनीता

11/5/22

M/8 श्रीमान O.I.C (L.R) Sir,

पुनः स्पष्ट रिपोर्ट बिन्दुवार प्राप्त की जावे।

16/5/22

[illegible]

D.A

M/9 महोदय

पैरा M/8 में दिये गये निर्देशों की पालना में SDO बहरोड़ से पुनः स्पष्ट रिपोर्ट मंगवाये जाने बाबत स्मरणपत्र प्रारूप तैयार कर

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली–बहरोड़

Scanned with CamScanner

स्थान
रकार

कार्यालय जिला कलक्टर (भू. अ.) अलवर

कार्यालय टिप्पणी / NOTE SHEET

(७)

पत्रावली अवलोकनार्थ अनुमोदनार्थ व हस्ताक्षरार्थ सादर प्रस्तुत है। सुनीता
17/5/2022
सुनीता ... मीना

N/10 श्रीमान O.I.C (L.R) मं. क
18/5/22

7096
18/5/22

N/11 महोदय

पेश M/5 का अवलोकन फरमावे यू. ओ. नोट सं. 893 दिनांक 18.4.2022 के सम्बन्ध में सूचना भिजवाने बाबत पत्र तैयार कर अवलोकनार्थ अनुमोदनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ सादर प्रस्तुत है।
सुनीता
17/5/22
सुनीता ... मीना
पटवारी
भू.अ. शाखा, ..., अलवर

M/12 श्रीमान O.I.C (L.R) मं. क
18/5/22

7095
18/5/22

M/13 महोदय

श्रीमान राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (वित्त) अलवर का यू. ओ. नोट सं. 114 दि० 11-5-2022 से पत्र प्राप्त हुआ है चाही गई सूचना भिजवाने बाबत पत्र तैयार कर अवलोकनार्थ अनुमोदनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ सादर प्रस्तुत है। सुनीता
3-6-2022

M/14 श्रीमान O.I.C (L.R) मं. क
6-6-22

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली–बहरोड़

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला कलक्टर (भू. अ.) अलवर
कार्यालय टिप्पणी / NOTE SHEET

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी

M/15 महोदय जी

श्रीमान न्यायालय अधीनस्थ अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर के पत्रांक 1127 दि. 17.6.2022 से अपील निस्तारित निर्णय 7.06.22 का पत्र प्राप्त हुआ है। अवलोकनार्थ आदेशार्थ सादर प्रस्तुत है।

सुनीता
21/6/22

M/16 श्रीमान O.I.C (LR) सा,

प्रकरण पत्रावलित किया जावे।

[signature]
21.6.22

पुनः प्रस्तुत

M/17 महोदय जी

M/9 व M/10 की पालना में SDO बहरोड़ का पत्रांक 364 दिनांक 29/6/2022 से तत्कालीन पटवारियों श्री अमित कुमार यादव श्री रामपत यादव, श्री मुकेश यादव द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में ~~हस्त~~ नाम चढ़ाने के कारण कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने बाबत पुनः स्पष्ट जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें तीनों पटवारियों की गयी शिकायत प्रमाणित पायी गई है। अवलोकनार्थ आदेशार्थ सादर प्रस्तुत है।

सुनीता
12/7/2022

M/18 श्रीमान O.I.C (LR) सा,

संबंधित तहसीलदार से आरोप पत्र आरोप विवरण पत्र भिजवाने हेतु पत्र जारी करावें।

[signature]
14/7/22

COMPARED

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली–बहरोड़

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) अलवर

(5)

कार्यालय टिप्पणी / NOTE SHEET

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी

N/19 महोदया जी

पेरा N/18 के तहत श्री रमेशचन्द की पत्रावली में TOR तहरीर तैयार किया जाकर अवलोकनार्थ अनुमोदनार्थ हस्ताक्षरार्थ सादर प्रेषित है।

सुनीता
12/7/2012

N/20 श्रीमान O.I.C (L.R.) जी,

सर उपखंडाधिकारी बहरोड़ से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार पटवारी अमित कुमार यादव (प० ह० बहरोड़ तर्फ बलराम), श्री रामपत यादव (प० ह० आनुवास) एवं श्री मुकेश यादव (प० ह० कल्याणपुरा) द्वारा राजस्व कार्य में लापरवाही की गयी है। एवं शिकायत कर्ता द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर भी नामांतकरण में गलत इन्द्राज किये गये हैं।

पत्रावली में आरोपी कार्मिको के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र जारी किया जाना प्रस्तावित है। पत्रावली अवलोकनार्थ अनुमोदनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

13.7.12
प्रशासनिक अधिकारी
प्रभारी अधिकारी (भू.अ.)
कलक्ट्रेट, अलवर

RECEIVED ... 13/7/12

OW

OIC LR

N/22 L.R.

20/7/12

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली–बहरोड

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) अलवर

कार्यालय टिप्पणी / NOTE SHEET

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रति

N/23 महोदय,

श्रीमान संयुक्त शासन सचिव (राज.) मुख्यालय (राज.) जयपुर का पत्र क्रमांक ... दिनांक 12.8.22 प्राप्त हुआ है जिसके नीचे N-20 की पालना में (पटवारी) कार्मिकों के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र, अभिलेख ... हेतु स्मरण पत्र तैयार कर उक्त पत्र मय ... पुनः भेजने अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ सादर प्रस्तुत है।

(हस्ताक्षर) 11.07.2022
(कनिष्ठ सहा.)

N/24 OIC (LR) Sir

N/25 महोदय,

तहसीलदार (भू.अ.) बहरोड के पत्र क्रमांक /भू.अ./22/1767 दिनांक 13.10.22 द्वारा श्री अमित कुमार (पटवारी), श्री रामपत यादव एवं श्री मुकेश यादव पटवारी के विरुद्ध आरोपपत्र एवं आरोप विवरणपत्र मय प्रपत्र अ,ब,स,द तैयार कर उक्त पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किए हैं जो कि आगे अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ सादर प्रस्तुत हैं।

(हस्ताक्षर) 14.10.22
(कनिष्ठ सहा.)

N/26 OIC (LR) Sir

सर तहसीलदार बहरोड़ से पटवारी श्री अमित कुमार, श्री रामपत यादव एवं श्री मुकेश यादव पटवारी के विरुद्ध आरोप पत्र एवं आरोप विवरण प्राप्त हुये हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही में नियम निर्धारण हेतु पत्रावली अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

(हस्ताक्षर) 14.10.22

N/27 Coll. Sir (हस्ताक्षर)

OIC (LR)

श्री मान आदेश के अनु. CCA नियम 16 / 17 के तहत

COMPARE E

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली–बहरोड़

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) अलवर

कार्यालय टिप्पणी / NOTE SHEET

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी

आदेशार्थ निवेदन हेतु पत्रावली वास्ते अवलोकनार्थ आदेशार्थ प्रस्तुत है।

16.11.22

N/28 श्री मान जिला कलेक्टर महोदय जी

— प्रकरण में CCA rules 16 के तहत

N/29 O/c

21.11.22

N/30 L.R. महो.

आरोपपत्रों की समीक्षा करने पर आरोपपत्र अपूर्ण व जाँच अधिकारी (SDO बहरोड) की जाँच रिपोर्ट के बिन्दुओं से समावेश होना नहीं पाए जाने पर पत्र पुनः तहसीलदार (भू.अ.) बहरोड को कार्मिको के विरुद्ध नियम 16 CCA के तहत उपखण्ड अधिकारी बहरोड की जाँच रिपोर्ट के बिन्दुओं का विस्तृत रूप से समावेश करते हुए नियम 16 CCA के तहत आरोपपत्र, आरोप विवरण पत्र व प्रपत्र अ.ब.स.द मय प्रमाणित डाक्यूमेंट्स के भिजवाने हेतु पत्र तैयार कर वास्ते अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ एवं आदेशार्थ सादर प्रस्तुत है।

21.11.22
(राजीव शर्मा ZCR)

N/31 OIC (LR) महो.

21.11.22

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली–बहरोड़

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना

N-32 महोदय

तहसीलदार (भू.अ.) बहरोड़ द्वारा पैरा N-30 के संदर्भ में प्रेषित पत्र की पत्रावली में संशोधित आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र का अभिलेख नहीं रखा गया है। संशोधित प्रपत्र हेतु पुनः पत्र तैयार कर भेजने बाबत अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

(हस्ताक्षर)
06.01.2023
राजीव शर्मा ICR (LR)

N-33 OIC (LR) महोदय

(हस्ताक्षर)
6.1.23

N-34 महोदय

पैरा N-32 के सन्दर्भ में तहसीलदार (भू.अ.) बहरोड़ द्वारा अपने पत्रांक /भू.अ./23/149 दिनांक 18.01.23 द्वारा कार्मिक श्री अमित कुमार, श्री रामपत यादव, एवं श्री मुकेश यादव के विरुद्ध संशोधित आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र एवं पत्रादि इस कार्यालय को प्राप्त हुए हैं। आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र एवं प्रपत्रों की समीक्षा पश्चात् वास्ते समीक्षा एवं अवलोकनार्थ, ज्ञापन तैयार हेतु अनुमोदनार्थ एवं आदेशार्थ सादर प्रस्तुत है।

(हस्ताक्षर)
27.01.23
राजीव शर्मा ICR (LR)

N-35 OIC (LR) महोदय

ज्ञापन तैयार कर जारी करें

(हस्ताक्षर)
1.2.23

N-36 महोदय

पैरा N-35 की पालना में सम्बन्धित कार्मिक श्री रामपत यादव, श्री अमित कुमार व श्री मुकेश यादव तत्का. पटवारीगण के विरुद्ध CCA नियम-16 के तहत ज्ञापन, आरोपपत्र व आरोपविवरण पत्र तैयार कर वास्ते अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ सादर प्रस्तुत है।

(हस्ताक्षर)
2.2.23
राजीव शर्मा ICR (LR)

N-37 OIC (LR) महोदय

COMPARE BY
फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली–बहरोड़

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) अलवर

कार्यालय टिप्पणी / NOTE SHEET

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी

श्रीमान कार्मिक पेज N-27 की पालना में कार्मिक श्री रामपत यादव, श्री अमित कुमार व श्री सुरेश यादव पटवारीगण के विरुद्ध CCA नियम 16 के तहत ज्ञापन, आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र तैयार कर वास्ते अवलोकनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है

3.2.23

N-38 श्री मान जिला कलक्टर महोदय

N-39 OK

N-40 L.R. महो.

कार्मिक श्री रामपत यादव तत्का. पटवारी प.ह. जाजूवास हाल प.ह. बहरोड़ तर्फ गंजगिरधर को CCA नियम-16 में जारी ज्ञापन की तामील होकर तामील प्रति तहसीलदार (भू.अ.) बहरोड़ के पत्रांक 402 दि. 17.2.23 द्वारा तथा कार्मिक श्री अमित कुमार पटवारी तत्का. प.ह. बहरोड़ तर्फ गंजगिरधर हाल प.ह. रिवाली को CCA नियम-16 के तहत जारी ज्ञापन की तामील तामीली रिपोर्ट मय तहसीलदार (भू.अ.) बहरोड़ के पत्रांक 403 दिनांक 17.02.23 द्वारा तथा कार्मिक श्री सुरेश यादव पटवारी तत्का. प.ह. कांकरदोपा तह. बहरोड़ हाल पटवारी प.ह. सोहली तह. गुढ़ा जिला झुन्झुनूं को CCA नियम-16 के तहत जारी ज्ञापन की तामील होकर तामीली रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी (भू.अ.) झुन्झुनूं के पत्रांक/भू.अ./स्था./तामील/2023/731 दिनांक 8-3-2023 द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई है।

N-41 कार्मिक श्री अमित कुमार तत्का. पटवारी प.ह. बहरोड़ तर्फ गंजगिरधर हाल प.ह. रिवाली द्वारा CCA नियम-16 के ज्ञापन बाबत अपना लिखित जवाब इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है जिसका विवरण निम्नानुसार है –

कार्मिक के पास बहरोड़ तर्फ गंजगिरधर पर पदस्थापित रहते हुए अतिरिक्त चार्ज प.ह. बहरोड़ तर्फ डूंगरसी का भी था कार्य की अधिकता (वसूली, गिरदावरी व अन्य राजकार्य)

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित

कृते कलक्टर (भू.अ.)

जिला कोटपूतली–बहरोड़

P.T.O.

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) अलवर

कार्यालय टिप्पणी / NOTE SHEET

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत

के [illegible] बहरोड़ तहसील [illegible] में भी आवंटन की [illegible] का [illegible] दिनांक 28.2.14 को [illegible] गया [illegible] हो गया था। इसमें [illegible] हुआ है। धारा 136 LR Act के [illegible] बहरोड़ के आदेशांक दि. 28.12.22 द्वारा पार्टी [illegible] [illegible] की गई है। इसमें पार्टी की कोई सहमति नहीं थी न ही [illegible] की कोई [illegible] लगाए गए आरोप निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

N-42 कार्मिक श्री [illegible] तत्कालीन [illegible] बहरोड़ [illegible] द्वारा CCA नियम-16 के तहत जारी आरोप पत्र का लिखित जवाब दि. 14.3.23 को उक्त कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें कार्मिक द्वारा [illegible] है कि ग्राम [illegible] के आवंटन की [illegible] 356 दि. 5.5.16 को दर्ज किया गया। पार्टी हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत [illegible] एवं [illegible] के आधार पर दर्ज [illegible] उस समय [illegible] चल रही थी तथा [illegible] आदि का कार्य भी [illegible] कार्य की अधिकता होने के कारण पार्टी द्वारा ग्राम बहरोड़ तहसील [illegible] 787 दर्ज दि. 28.2.14 को इंतकाल नाम दर्ज होने के कारण ग्राम [illegible] दर्ज 356 दि. 5.5.16 पार्टी द्वारा दर्ज किया गया था। इस प्रकार उक्त नामान्तरण में पार्टी की कोई बदनीयती नहीं थी। LR Act धारा-136 द्वारा [illegible] उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के आदेशांक/844 दि. 28.12.22 की पालना में ग्राम बहरोड़ तहसील [illegible] [illegible] में नाम शुद्ध कर दिया गया है परन्तु ग्राम [illegible] के उक्त [illegible] में माननीय ACM बहरोड़ का स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण धारा-136 के आदेश SDO बहरोड़ आदेशांक 844 दि. 28.12.22 के आदेशों की पालना किया जाना शेष है। पार्टी की कोई बदनीयति नहीं थी न ही राजकार्य के प्रति कोई उदासीनता थी अतः लगाये गए आरोपों को निरस्त करने का निवेदन किया है।

महो. पैरा-N.40 से N-42 का अवलोकन करावें। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु जांच अधिकारी व विभागीय पैरोकार की नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित उचित होगा। पत्रावली वास्ते अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ सादर प्रस्तुत है।

[signature]
20.03.23
[illegible] (R.)

N-43 OIC (LR) महो-

श्री मान [illegible] में अग्रिम कार्यवाही हेतु जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ एवं विभागीय पैरोकार [illegible] बहरोड़ को [illegible]

COMPARE BY
[signature]

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
[signature]
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली–बहरोड़

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी

कार्यालय जिला कलक्टर (भू. अ.) अलवर

कार्यालय टिप्पणी / NOTE SHEET

(11)

निर्णय ... प्रस्तावित है।

... ... प्रस्तुत है।

24.3.23

N-44 श्री मान जिला कलेक्टर महोदय

N-45

31.3.23

महो.

N-46 पैरा N-44 व N45 की पालना में प्रकरण में उचित कार्यवाही हेतु CCA नियम-16 के अधीन जाँच करने हेतु कार्मिक श्री रामपत यादव तत्का. प.ह. जमुवास हाल प.ह. बहरोड़ तर्फ गंगाविशा व कार्मिक श्री अनीत कुमार पटवारी तत्का. प.ह. बहरोड़ तर्फ गंगाविशा हाल प.ह. रिवली व कार्मिक श्री मुनेश यादव पटवारी तत्का. प.ह. कौनरडीपा तह. बहरोड़ हाल प.ह. सोहली तह. बुहाना जिला झुंझुनू के विरुद्ध जाँच करने हेतु जाँच अधिकारी एवं विभागीय प्रतिनिधि नियुक्त करने हेतु नियुक्ति पत्र तैयार कर ताकि अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

10
04.04.23
वरिष्ठ सहा./ICR (LR)

N-47 OIC (LR) महो.

4.4.23

पत्रांक जारी.
7975, 7971, 7980
5.4.23

COMPARE B...

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली–बह...

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 के तहत जारी

Government of Rajasthan

Office of District Collector and District Magistrate, Kotputli-Behror

48

श्रीमान जी, पत्रावली NOS-1: pageNo1 जिला कार्यालय अलवर से प्राप्त हुई जिसका अवलोकन फरमावें । पैरा सं. 47 के क्रम में क्रमिक अमित कुमार यादव PUC-1/C , रामपतसिंह यादव PUC-3/C एवं मुनेश यादव PUC-2/C की जांच रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी बहरोड से प्राप्त हो गई है जो पत्रावली शामिल है । प्रकरण अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है ।

AJAY SHUKL
ILR, LR Section
14 May 2024 16:49:22

49

put up file with comments after examination

Brajesh Kumar II
SDO, SDO / SDM, Kotputli
21 May 2024 15:52:02

50

[File Disposed by AJAY SHUKL on 21 May 2024 16:34:33]

AJAY SHUKL
ILR, LR Section
10 Jun 2024 14:16:44

51

श्रीमान जी Para-49/N के क्रम में निवेदन है कि पैरा सं. 46 के द्वारा जिला कार्यालय अलवर के पत्रांक भू.अ./वि.जा./2023/7971, 7975 व 7980 दिनांक 05.04.2023 के द्वारा प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को जांच अधिकारी एवं तहसीलदार बहरोड़ को विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उप-स्थापक अधिकारी (विभागीय प्रतिनिधि) नियुक्त कर आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र भिजवाये गये थे ।

श्रीमान जी प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी की जांच रिपोर्ट पत्रांक वि.जा./2024/138 दिनांक 07.05.2024 (विभागीय जांच श्री रामपत यादव, पटवारी) PUC-4/C , त्रांक वि.जा./2023/191 दिनांक 26.09.2023 (विभागीय जांच श्री अमित यादव, पटवारी) PUC-5/C एवं पत्रांक वि.जा./2024/139 दिनांक 07.05.2024 (विभागीय जांच श्री मुनेश यादव, पटवारी तत्कालीन प.म. कांकरदोपा हाल पटवार हल्का सोहली तहसील बुहाना जिला झुंझुनु) PUC-6/C की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जो पत्रावली शामिल है का अवलोकन फरमावें ।

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित

Downloaded by: AJAY SHUKL (RJJP200718009451)
30-Aug-2024 18:11:05

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 के तहत जा

श्रीमान जी तीनों ही प्रकरणों में जांच अधिकारी ने मात्र लिपिकीय त्रुटि मानी है तथा त्रुटि का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ में निर्णय करवाया जाकर त्रुटि का संशोधन किया जा चुका है ।

प्रकरण अवलोकनार्थ / आदेशार्थ सादर प्रस्तुत है ।

AJAY SHUKL
ILR, LR Section
10 Jun 2024 14:16:44

52

discuss tomorrow at 10am

Brajesh Kumar II
SDO, SDO / SDM, Kotputli
10 Jun 2024 17:59:22

53

[File Disposed by AJAY SHUKL on 11 Jun 2024 18:04:40]

AJAY SHUKL
ILR, LR Section
02 Jul 2024 13:15:12

54

श्रीमान जी के निर्देशानुसार प्रकरण में कार्मिकों को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया जाना अपेक्षित है । अतः व्यक्तिगत सुनवाई हेतु तारीख नियत करवाने की कृपा करावें ।

AJAY SHUKL
ILR, LR Section
02 Jul 2024 13:15:12

55

Respected Ma'am... Requesting to final a date for personal hearing.

Brajesh Kumar II
SDO, SDO / SDM, Kotputli
02 Jul 2024 14:05:20

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली–बहरोड

56

Downloaded by: AJAY SHUKL (RJJP200718008451)
30-Aug-2024 18:11:05

Scanned with CamScanner

on 5th july at 10.30 am

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी

Kalpana Agarwal
Collector & District Magistrate, Collectorate Kotputli-Behror
02 Jul 2024 14:32:25

57

do compliance as per para 56

Brajesh Kumar II
SDO, SDO / SDM, Kotputli
02 Jul 2024 16:51:56

58

श्रीमान जी, प्रकरण में कार्मिकों को नियत समय पर व्यक्तिगत सुनवाई बावत लिखा जाने वाला स्वच्छ-पत्र DFA-3 DFA-2 DFA-1 तैयार कर वास्ते आदेशार्थ/हस्ताक्षरार्थ सादर प्रेषित है ।

AJAY SHUKL
ILR, LR Section
02 Jul 2024 17:40:52

Brajesh Kumar II
SDO, SDO / SDM, Kotputli
02 Jul 2024 18:17:54

60

श्रीमान जी, प्रकरण में कार्मिकों की व्यक्तिगत सुनवाई पश्चात आदेशानुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ से प्रकरण से सम्बन्धित नियम 136 की मूल पत्रावली मंगवाने बावत लिखा जाने वाला स्वच्छ-पत्र DFA-4 DFA-5 DFA-6 तैयार कर वास्ते अवलोकनार्थ / आदेशार्थ सादर प्रस्तुत है ।

COMPARE BY

AJAY SHUKL
ILR, LR Section
08 Jul 2024 14:31:38

61

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली–बहरोड़

Brajesh Kumar II
SDO, SDO / SDM, Kotputli
08 Jul 2024 14:40:54

Downloaded by: AJAY SHUKL (RJJP200718008451)
30-Aug-2024 18:11:05

Scanned with CamScanner

188-00004 - Hansraj Hansram Amit Rampal Mukesh Patwari

Respected Sir, Sign please...

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी

AJAY SHUKL
ILR, LR Section
08 Jul 2024 14:47:38

63

Brajesh Kumar II
SDO, SDO / SDM, Kotputli
08 Jul 2024 18:14:23

64

[File Disposed by AJAY SHUKL on 09 Jul 2024 11:21:58]

AJAY SHUKL
ILR, LR Section
31 Jul 2024 13:02:54

65

श्रीमान जी Para-60/N के क्रम में उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ से नियम 136 की मूल पत्रावली अदिनांक तक अप्राप्त है । अतः पत्रावली मंगवाने बाबत लिखा जाने वाला स्वच्छ स्मरण-पत्र DFA-7 DFA-8 DFA-9 तैयार कर वास्ते अवलोकनार्थ / आदेशार्थ सादर प्रेषित है ।

AJAY SHUKL
ILR, LR Section
31 Jul 2024 13:02:54

66

This file has been recalled by AJAY SHUKL (ILR)

COMPARE BY

Brajesh Kumar II
SDO, SDO / SDM, Kotputli
31 Jul 2024 17:25:48

67

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली—बहरोड़

AJAY SHUKL
ILR, LR Section
01 Aug 2024 17:57:49

Downloaded by: AJAY SHUKL (RJJP200713008451)
30-Aug-2024 18:11:05

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 के तहत जारी

Brajesh Kumar II
SDO, SDO / SDM, Kotputli
01 Aug 2024 18:18:38

69 Respected Sir..... please Sign DFA-7, DF8 in Para-65/N

AJAY SHUKL
ILR, LR Section
01 Aug 2024 18:35:31

70 *This file has been recalled by AJAY SHUKL (ILR)*

Brajesh Kumar II
SDO, SDO / SDM, Kotputli
01 Aug 2024 18:48:50

71 श्रीमान जी, Para-65/N में अमित यादव हेतु DFA-7 , मुनेश यादव हेतु DFA-8 तथा रामपत यादव हेतु DFA-10 तकनीकि खामी के चलते हस्ताक्षर से शेष रह गये हैं । हस्ताक्षरार्थ सादर प्रेषित है ।

AJAY SHUKL
ILR, LR Section
01 Aug 2024 18:56:15

72

COMPARE BY

Brajesh Kumar II
SDO, SDO / SDM, Kotputli
05 Aug 2024 16:06:23

73

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली–बहरोड़

Brajesh Kumar II
SDO, LR Section
05 Aug 2024 16:06:23

74 Respected Sir..... please Sign DFA-7, DF8 in Para-71/N

Downloaded by: AJAY SHUKL (RJJP200718008451)
30-Aug-2024 18:11:05

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी

AJAY SHUKL
ILR, LR Section
05 Aug 2024 16:44:32

75

Brajesh Kumar II
SDO, SDO / SDM, Kotputli
05 Aug 2024 16:49:32

76

श्रीमानजी पैरा 75 के क्रम में निवेदन है की उपखंड अधिकारी बहरोड़ से रिपोर्ट अदिनांक तक अप्राप्त है प्रकरण अवलोकनार्थ आदेशार्थ सादर प्रस्तुत है

AJAY SHUKL
ILR, LR Section
06 Aug 2024 13:47:29

77

Respected Ma'am.....Requesting you ma'am to review and further directions as reply submitted by personnels during personal hearing. Patravali of 136 is still pending from SDO Behror.

Brajesh Kumar II
SDO, SDO / SDM, Kotputli
06 Aug 2024 15:14:23

78

personal hearing done..punish all three patwaries with holding one increment with non cumulative effect

Kalpana Agarwal
Collector & District Magistrate, Collectorate Kotputli-Behror
06 Aug 2024 16:31:36

79

do compliance in terms of para 78.

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली–बहरोड

Brajesh Kumar II

Downloaded by: AJAY SHUKL (RJJP200718008451)
30-Aug-2024 18:11:05

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 के तहत जारी

SDO, SDO / SDM, Kotpulli
06 Aug 2024 18:01:22

श्रीमान जी, Para-79/N के क्रम में कार्मिकों के दण्डादेश का स्वच्छ-पत्र

1. अमित कुमार- DFA-11

2. मुनेश यादव- DFA-12 व

3. रामपत यादव DFA-13 तैयार कर वास्ते अवलोकनार्थ/आदेशार्थ सादर प्रस्तुत है ।

AJAY SHUKL
ILR, LR Section
30 Aug 2024 17:19:11

81

Respected Ma'am....Requesting for signature attached DFA in para 80.

Brajesh Kumar II
SDO, SDO / SDM, Kotputli
30 Aug 2024 17:25:24

82

Kalpana Agarwal
Collector & District Magistrate, Collectorate Kotputli-Behror
30 Aug 2024 17:28:45

83

COMPARE BY

Brajesh Kumar II
SDO, SDO / SDM, Kotputli
30 Aug 2024 17:41:02

84

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपुतली–बहरोड़

AJAY SHUKL
ILR, LR Section

Downloaded by: AJAY SHUKL (RJJP200718008451)
30-Aug-2024 18:11:05

Scanned with CamScanner

①

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी

सेवामे,

163 / 21/2/22

श्रीमान जिलाधीश महोदय,

जिला अलवर (राज.) ।

LR 18/2/22

विषय: --तहसील-बहरोड़,जिला-अलवर(राज.) में कार्यरत तत्कालीन पटवारियों श्री अमित कुमार यादव,श्री रामपत सिंह यादव और श्री मुकेश यादव द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम चढ़ाने के कारण इनके विरुद्ध सेवा नियमों के तहत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने तथा FIR दर्ज करवाने हेतु ।

सन्दर्भ:- श्रीमान तहसीलदार बहरोड़,जिला अलवर का आदेश क्रमांक/एलआर/आरटीआई/22/198 दिनांक-03-02-2022 (फ़ोटोस्टेट न.-A संलग्न है).।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूँ । यह कि राजस्व कार्मिक जानबूझकर,किसानो को सदोष हानि पहुँचाने की नीयत से उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज कर रहें । इससे गरीब किसानों को यह नाम दुरुस्त करवाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड रहें हैं,इससे कास्तकारों का समय व धन बरबाद हो रहा है,सरकार के विरुद्ध मुकदमों का अम्बार भी लग रहा है,सरकारी समय भी बरबाद हो रहा है,भ्रस्टाचार भी पनप रहा है । आप जब तक दोषी कार्मिकों के खिलाफ कठोर कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक इसमें सुधार हो ही नहीं सकता ।

नाम दुरुस्त करवाने की पीड़ा मैं भोग चुका हूँ जब तहसील-बहरोड़,जिला-अलवर (राज.) के कार्मिकों ने मेरे पिता श्री मंगलराम उर्फ़ मंगल का नाम गंगल कर दिया था,इस नाम को सही करवाने के लिए मुझे जरिये वकील श्रीमान उपखंड अधिकारी बहरोड़ की अदालत में दावा दुरुस्ती का मुकदमा करना पडा तब कहीं जाकर मेरे पिता श्री का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम मंगल किया गया (फ़ोटोस्टेट न.-B संलग्न है) ।

इसी तरह राजस्व रिकॉर्ड में मेरा नाम हंसराम की जगह हंसराज कर दिया,मेरी माँ का नाम भी नाराणी की जगह नारायणी कर दिया इन नामों को दुरुस्त करवाने के लिए मैं अब भी कोर्ट कचहरियो के चक्कर लगा रहा हूँ,इससे मेरे कीमती समय एवं धन बर्बाद हो रहा है ।

मेरी RTI के जवाब में श्रीमान तहसीलदार बहरोड़,जिला-अलवर(राज.) ने अपने पत्र क्रमांक/एलआर/आरटीआई/22/198 दिनांक-03-02-2022 के तहत मुझे सूचित किया है कि गांव-बहरोड ,जागुवास,कल्याणपुरा के राजस्व रिकॉर्ड में आपका सही नाम हंसराम की जगह गलत नाम हंसराज श्री

PE 22.2.2022

LR-594 22/2/22

P.T.O

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली-बहरोड

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 के तहत जारी

...मित कुमार यादव पटवारी,श्री रामपत सिंह यादव पटवारी और श्री मुनेश यादव पटवारी के द्वारा दर्ज किया गया है।

महोदय, उपरोक्त पटवारिओं ने जानबूझकर, मुझे सदोष हानि पहुंचाने की नीयत से, षडयन्त्रपूर्वक मेरा नाम राजस्व रिकॉर्ड में हंसराम की जगह हंसराज किया है। एक पटवारी द्वारा एक राजस्व गांव में मानवीय भूल से गलत नाम चढ़ सकता है। तीन-तीन पटवारिओं द्वारा तीन-तीन राजस्व गांवो (बहरोड,जगुवास,कल्याणपुरा) के रिकॉर्ड में गलत नाम चढ़ा देना मानवीय भूल हो ही नहीं सकती। यह नाम जानबूझकर षडयंत्रपूर्वक गलत दर्ज किये गएँ हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि आप उक्त तीनो पटवारिओं के विरुद्ध सेवा नियमों के तहत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के साथ ही इसके विरुद्ध पुलिस थाना बहरोड FIR भी दर्ज करवाने का श्रम करें।

धन्यवाद।

भवदीय

[signature]

दिनांक-14-02-2022

हंसराम यादव पुत्र श्री मंगलराम,गांव-कल्याणपुरा,तहसील-बहरोड,जिला-अलवर(राज.)।

पत्राचार का पता-हंसराम यादव,वार्ड न.-3,मु.पो.बनेठी,तहसील-कोटपुतली,जिला-जयपुर(राज.)।

फोन-9928798668 E-mail-hansramyadav1959@gmail.com

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली–बहरोड

Scanned with CamScanner

(2)

सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 के तहत जारी

सेवामे,

श्रीमान तहसीलदार महोदय,

तहसील-बहरोड़,जिला-अलवर(राज.) ।

विषय:-नागरिक सूचना अधिकार कानून 2005 (RTI) के तहत सूचनाएं उपलब्ध करवाने और अपने उच्चाधिकारी / माननीय न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी बहरोड़ के आदेशों की पालना करने बाबत ।

सन्दर्भ:- मेरा RTI आवेदन दिनांक-16-11-2020 और इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी बहरोड़ का आदेश क्रमांक:-लोक सूचना /2021/746-47 दिनांक-3-3-21 तथा निर्णय-प्र.स.221/22.01.2021 तारीख निर्णय 22.02.2021,आपका आदेश क्रमांक-एलआर/आरटीआई /21/1857 दिनांक-06-12-2021 |

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आपके कार्मिकों ने राजस्व रिकॉर्ड (ग्राम बहरोड़ तर्फ बलराम खाता संख्या- नया-12,पुराना-65=ग्राम बहरोड़ तर्फ बलराम खाता संख्या नया-205,पुराना-223 = ग्राम कल्याणपुरा खाता संख्या-नया-207,पुराना-204=ग्राम जगुवास खाता संख्या-नया-215,पुराना-208 में) में मेरा नाम हंसराम की जगह हंसराज कर दिया था | इस पर मैंने मेरे RTI आवेदन दिनांक-16-11-2020 के तहत आपसे यह पूछा था कि मेरा नाम हंसराम की जगह हंसराज आपके किस कार्मिक ने किया है सहित 3 सूचनाएं मांगी थी(फ़ोटोस्टेट संलग्न है)इसके जबाब में आपने मुझे जो सूचनायें उपलब्ध करवाई वे भ्रामक एवं असत्य थी | इसपर मैंने दिनांक-08-01-2021 श्रीमान उपखंड अधिकारी बहरोड़ के यहाँ प्रथम विभागीय अपील की (फ़ोटोस्टेट संलग्न है) | मेरी इस अपील माननीय न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी बहरोड़ ने अपने आदेश क्रमांक;-लोक सूचना /2021/ 746-47 दिनांक-3-3-21 तथा तारीख निर्णय 22.02.2021 (प्र.स.221/22.01.2021) के तहत आपको आदेशित किया कि प्रार्थी अर्थात हंसराम यादव को यह सूचनाये 21 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएँ (निर्णय की फ़ोटोस्टेट संलग्न है) | लेकिन आपने मुझे अभी तक यह सूचनाये स्पष्ट रूप से नहीं दी है कि राजस्व रिकॉर्ड में मेरा नाम हंसराम की जगह हंसराज आपके किस कार्मिक ने किया है |

महोदय, आप एक लोक सेवक के पद पर विराजमान है और अपने उच्चाधिकारी,माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना करना आपका संवैधानिक कर्तव्य है और आप इस प्रकरण में अपने उच्चाधिकारी एवं न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं | इस पर आपके विरुद्ध IPC के तहत भी कार्रवाही हो

P.T.O

स्व प्रमाणित

COMPARE BY

फ़ोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
अति. जिला कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली–बहरोड़

Scanned with CamScanner

(2)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी

सकती है। यही नहीं माननीय न्यायालय राजस्थान सूचना आयोग ने "अजय कुमार बत्रा बनाम सचिव,जयपुर विकास प्राधिकरण (अपील संख्या-3492/2010 निर्णय दिनांक-30-3-2011) में अभिनिर्धारित किया है कि प्रथम विभागीय अधिकारी के आदेश की पालना न करने वाले लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। अतः आपसे पुनः निवेदन है कि आप मुझे उन कार्मिकों के नाम,पद बताने का श्रम करें जिन्होंने राजस्व रिकॉर्ड में मेरा नाम हंसराम कि जगह हंसराज ~~करने का श्रम करें~~। किया है।

आपने अपना आदेश क्रमांक/एलआर/आरटीआई/21/1857 दिनांक-06-12-2021 मेरे पास भेजा है (फ़ोटोस्टेट संलग्न है) इस पत्र के सम्बन्ध में आप मुझे निम्नलिखित सूचनाएं भी नागरिक सूचना अधिकार कानून 2005 के तहत उपलब्ध करवाने का कष्ट करें,इस हेतु मैं 10/-रुपया का भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक-41F 440442 इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ। मेरे वांछित सूचनाएं निम्न प्रकार हैं-

1.इस पत्र में आपने जिन जिन भी नामांतकरण संख्या (यथा-356,787,669,787) का उल्लेख किया उनकी दिनांक अर्थात ये नामांतकरण किस तारीख को किये गए इसकी सूचना उपलब्ध करवाएं।

2.आपने इस आदेश में बतलाया कि ग्राम कल्याणपूरा का ना.क.संख्या 356 पर मंगलराम की विरासत का नामांतकरण श्री रामसिंह पटवारी द्वारा दर्ज किया गया। क्या इसका अर्थ यह है कि इस नामांतकरण के तहत मेरा नाम राजस्व रिकॉर्ड में हंसराम की जगह हंसराज श्री रामसिंह पटवारी ने किया है,यदि इसका उत्तर हाँ है तो स्पष्ट सूचना दे कि हाँ इसने हंसराम का नाम हंसराज किया गया है और इसका उत्तर ना है तो फिर मुझे इसकी सूचना उपलब्ध करवाएं कि फिर राजस्व रिकॉर्ड में मेरा नाम हंसराम कि जगह हंसराज आपके किस कार्मिक ने किया है।

3. आपने इस आदेश में बतलाया कि ग्राम बहरोड़ तर्फ बलराम का ना.क.संख्या-787 पर मंगलराम की विरासत का नामांतकरण श्री अमितकुमार यादव पटवारी द्वारा दर्ज किया गया। क्या इसका अर्थ यह है कि इस नामांतकरण के तहत मेरा नाम राजस्व रिकॉर्ड में हंसराम की जगह हंसराज श्री अमितकुमार पटवारी ने किया है,यदि इसका उत्तर हाँ है तो स्पष्ट सूचना दे कि हाँ इसने हंसराम का नाम हंसराज किया गया है और इसका उत्तर ना है तो फिर मुझे इसकी सूचना उपलब्ध करवाएं कि मेरा नाम राजस्व रिकॉर्ड में हंसराम कि जगह हंसराज आपके किस कार्मिक ने किया है।

4.आपने अपने इस आदेश में बतलाया कि ग्राम जगुवास ना.क. संख्या-669 पर मंगलराम की विरासत का नामांतकरण श्री टेकचंद पटवारी द्वारा दर्ज किया गया। क्या इसका अर्थ यह है कि इस नामांतकरण के तहत मेरा नाम राजस्व रिकॉर्ड में हंसराम की जगह हंसराज श्री टेकचंद पटवारी ने किया है,यदि इसका उत्तर हाँ है तो स्पष्ट सूचना दे कि हाँ इसने हंसराम का नाम हंसराज किया गया है और इसका

पृष्ठ नं 3 पर जारी

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली–बहरोड

Scanned with CamScanner

(3)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी

उत्तर ना है तो फिर मुझे इसकी सूचना उपलब्ध करवाएं कि मेरा नाम राजस्व रिकॉर्ड में हंसराम कि जगह हंसराज आपके किस कार्मिक ने किया है।

5.आपने अपने उक्त आदेश में बतलाया कि ग्राम जगुवारा ना.क.संख्या-787 नारायणी देवी पत्नी मंगलराम एवं सारदा पुत्री मंगलराम की रिलीज डीड का नामांतकरण श्री रामपतसिंह यादव पटवारी द्वारा दर्ज किया गया। क्या इसका अर्थ यह है कि इस नामांतकरण के तहत मेरा नाम राजस्व रिकॉर्ड में हंसराम की जगह हंसराज श्री रामपत सिंह यादव पटवारी द्वारा किया गया है, यदि इसका उत्तर हाँ है तो स्पष्ट सूचना दे कि हाँ इसने हंसराम का नाम हंसराज किया गया है और इसका उत्तर ना है तो फिर मुझे इसकी सूचना उपलब्ध करवाएं कि राजस्व रिकॉर्ड में मेरा नाम हंसराम कि जगह हंसराज आपके किस कार्मिक ने किया है।

भवदीय

धन्यवाद।

दिनांक-30-12-2021

हंसराम यादव पुत्र श्री मंगलराम,गांव-कल्याणपुरा,तहसील-बहरोड़,जिला-अलवर(राज.)। फोन-9928798668

पत्राचार का पता---- हंसराम यादव,वार्ड न.3,मु.पो.बनेठी,तहसील-कोटपुतली,जिला-जयपुर (राज.)।

E-mail- hansramyadav1959@gmail.com

भारतीय डाक
India Post

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (मु.अ.)
जिला कोटपूतली–बहरोड

Scanned with CamScanner

राजस्थान – सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ जिला (अलवर)

(33)

क्रमांक विजा/2022/ 364 दिनांक :– 29/06/2022

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
(भू0अ0) अलवर

सूचना का अधिकार अधिनि
2005 के तहत जारी

विषय:– तहसील बहरोड़ जिला अलवर (राज0) में कार्यरत तत्कालीन पटवारियों श्री अमित कुमार यादव, श्री रामपत यादव, श्री मुनेश यादव द्वारा राजस्व रिकार्ड मे गलत नाम चढ़ाने के कारण कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के क्रम मे।

प्रसंग:– श्रीमान जी का पत्रांक भू0अ0/प्रा0जा0/2022/3740 दिनांक 07/03/2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ मे निवेदन है कि उक्त शिकायत की जॉच तहसीलदार बहरोड़ से करायी जाकर निम्न प्रकार प्रेषित है –

1. आरोप सं0 1 – नामा0करण संख्या 787 वाके ग्राम बहरोड़ तर्फ बलराम तत्कालीन पटवारी श्री अमित कुमार यादव द्वारा दिनांक 28/02/2014 को दर्ज किया गया है। प्रार्थी द्वारा दिये गये शपथ पत्र मे प्रार्थी का नाम हंसराम दर्ज है। जबकि नामा0करण मे हंसराज दर्ज किया गया है। जो गलत दर्ज हुआ है। गलत इन्द्राज करने के लिए संबंधित पटवारी हल्का दोषी है।
2. आरोप सं0 2 – नामा0करण संख्या 787 वाके ग्राम जागुवास पटवारी श्री रामपत यादव द्वारा रिलीज डीड 787 का नामा0करण दिनांक 18/12/2016 को दर्ज किया गया जो भू0अ0 निरीक्षक वृत द्वारा 18/12/2016 को जॉच की जाकर संबंधित ग्राम पंचायत के द्वारा दिनांक 06/01/2017 को फैसल किया गया है। रिलीज डीड में हंसराम द्रर्ज है। जबकि पटवारी हल्का द्वारा हंसराज दर्ज किया गया है। गलत इन्द्राज करने के लिए संबंधित पटवारी हल्का दोषी है।
3. आरोप सं0 3 – नामा0करण संख्या 356 वाके ग्राम कल्याणपुरा तत्कालीन पटवारी श्री मुनेश यादव हाल कार्यरत तहसील नीमराना द्वारा विरासत का नामा0करण 356 दिनांक 05/05/2015 को दर्ज किया गया है। जिसमे तत्कालीन पटवारी द्वारा हंसराम के स्थान पर हंसराज दर्ज किया गया है। इसी नामा0करण पर तत्कालीन पटवारी हल्का श्री रामसिंह यादव द्वारा उक्त नामा0करण के वारीसान की पुनः जॉच दिनांक 23/05/2016 को की गई, एवं नामा0करण निर्णय हेतु तहसीलदार बहरोड़ के समक्ष प्रस्तुत कर दिनांक 23/05/2016 को स्वीकृत हुआ है। प्रार्थी द्वारा दिये गये शपथ पत्र के विरूद्ध पटवारी हल्का ने नाम दर्ज किया है। गलत इन्द्राज करने के लिए संबंधित हल्का दोषी है।

COMPARE BY

LR 1875 07/07/22

Sd/-
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (अलवर) राज0

Rajeswar Folder 2020 /RK/Latter File2 16032020

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलेक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली–बहरोड

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 के तहत जारी

(31)

—: निष्कर्ष :—

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार से जॉच रिपोर्ट प्राप्त की गयी। तहसीलदार बहरोड़ द्वारा तीनों पटवारियों को दोषी बताया गया है। अतः की गयी शिकायत प्रमाणित पायी गयी है। अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान जी की सेवामें सादर प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ जिला (अलवर).

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपुतली—बहरोड़

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी

(75)

कार्यालय तहसीलदार (भू0अ0) बहरोड जिला अलवर

क्रमांकः– भू0अ0 / 22 / 1027

दिनांक 22 / 06 / 2022

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
बहरोड

विषयः– तहसील बहरोड जिला अलवर मे कार्यरत रहते हुए तत्कालीन पटवारी श्री अमित कुमार यादव, श्री रामपत यादव, श्री मुनेश यादव द्वारा राजस्व रिकार्ड मे गलत नाम चढाने के कारण कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने बाबत।

प्रसंगः– श्रीमानजी का पत्रांक / राजस्व / वि.जां / 2022 / 301–02 दिनांक 06.06.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि यः– तहसील बहरोड जिला अलवर मे कार्यरत रहते हुए तत्कालीन पटवारी श्री अमित कुमार यादव, श्री रामपत यादव, श्री मुनेश यादव द्वारा राजस्व रिकार्ड मे गलत नाम चढाने के कारण कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने बाबत प्रकरण की जांच की गई जिसकी बिन्दुवार जांच रिपोर्ट निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

1. बिन्दु संख्या 1 – नामा0करण संख्या 787 वाके ग्राम बहरोड तर्फ वलराम तत्कालीन पटवारी श्री अमित कुमार यादव द्वारा दिनांक 28.02.2014 को दर्ज किया गया है। प्रार्थी द्वारा दिये गये शपथ पत्र मे प्रार्थी का नाम हंसराम दर्ज है। जबकि नामा0करण मे हंसराज दर्ज किया गया है। जो गलत दर्ज हुआ है। गलत इन्द्राज करने के लिए संबंधित पटवारी हल्का दोषी है।
2. बिन्दुसंख्या 2 – नामा0करण संख्या 787 वाके ग्राम जागुवास पटवारी श्री रामपत यादव द्वारा रिलीज डीड 787 का नामा0करण दिनांक 18.12.2016 को दर्ज किया गया जो भू0अ0 निरीक्षक वृत द्वारा 18.12.2016 को जांच की जाकर संबंधित ग्राम पंचायत के द्वारा दिनांक 06.01.2017 को फैसल किया गया है। रिलीज डीड मे हंसराम दर्ज है। जबकि पटवारी हल्का द्वारा हंसराज दर्ज किया गया है। गलत इन्द्राज करने के लिए संबंधित पटवारी हल्का दोषी है।
3. बिन्दुसंख्या 3 – नामा0करण संख्या 356 वाके ग्राम कल्याणपुरा तत्कालीन पटवारी श्री मुनेश यादव हाल कार्यरत तहसील नीमराना द्वारा विरासत का नामा0करण 356 दिनांक 05.05.2015 को दर्ज किया गया है। जिसमे तत्कालीन पटवारी द्वारा हंसराम के सथान पर हंसराज दर्ज किया गया है। इसी नामा0करण पर तत्कालीन पटवारी हल्का श्री रामसिंह यादव द्वारा उक्त नामा0करण के वारीसान की पुनः जांच दिनांक 23.05.2016 को की गई, एवं नामा0करण निर्णय हेतु तहसीलदार बहरोड के समक्ष प्रस्तुत कर दिनांक 23.05.2016 को स्वीकृत हुआ है। प्रार्थी द्वारा दिये गये शपथ पत्र के विरूद्ध पटवारी हल्का ने नाम दर्ज किया है। गलत इन्द्राज करने के लिए संबंधित पटवारी हल्का दोषी है।

जवाब पैरोकार श्रीमानजी की सेवामे सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू0अ0) बहरोड़

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित

कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली–बहरोड

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी

(43)

कार्यालय तहसीलदार (भू०अ०) बहरोड जिला अलवर

क्रमांक – भू०अ० / 22 / 1787 दिनांक 13 / 10 / 2022

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
(भू०अ०) अलवर

विषयः– श्री अमित कुमार, श्री रामपत यादव एवं श्री गुनेश यादव के विरूद्ध आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र मय प्रपत्र अ,ब,स, द तैयार कर भिजवाने के क्रम में।

प्रसंगः– श्रीमानजी का पत्रांक / भू०अ० / वि.जांच / 22 / 16639 दिनांक 29.09.2022 के क्रम मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत नम्र निवेदन है कि श्री अमित कुमार, श्री रामपत यादव एवं श्री गुनेश यादव के विरूद्ध आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र मय प्रपत्र अ,ब,स, द तैयार कर इस पत्र के साथ सलंग्न कर श्रीमानजी की सेवामे सादर प्रेषित है।

सलंग्न :– 1. आरोप पत्र
2. आरोप विवरण पत्र
3. प्रपत्र अ, ब, स, द

LR 2988
14/10/22

14/10/22

तहसीलदार (भू०अ०) बहरोड़
जिला अलवर

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली–बहरोड़

Scanned with CamScanner

आरोप पत्रः– श्री रामपत यादव तत्कालीन प0म0 जागुवारा हाल बहरोड तर्फ गंगाबिशन

आरोप संख्या 1 – आप श्री रामपत यादव पटवारी प0म0 जागुवारा पर पदस्थापित रहते हुए ग्राम जागूवास मे नारायणी देवी पत्नि मंगलराम एवं शारदा पुत्री मंगलराम की रिलीज डीड का नामा0करण संख्या 787 दिनांक 18.12.2016 पर दर्ज किया गया है। रिलीजडीड मे हंसराम दर्ज है। जबकि आप द्वारा नामा0करण दर्ज करते समय जानबूझ कर हंसराम के स्थान पर हंसराज दर्ज किया है। जो गलत है। गलत नाम दर्ज करने के लिए आप दोषी है।

तहसीलदार (भू0अ0) [illegible]

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली–बहरोड

Scanned with CamScanner

(50)

आरोप विवरण पत्र -- श्री रामपत यादव तत्कालीन प0ग0 जागुवास हाल बहरोड तर्फ गंगाविशन

आरोप विवरण पत्र संख्या 1 – आप श्री रामपत यादव पटवारी प0ग0 जागुवास पर पदस्थापित रहते हुए ग्राम जागूवास मे नारायणी देवी पत्नि मंगलराम एवं सारदा पुत्री मंगलराम की रिलीज डीड का नामा0करण संख्या 787 दिनांक 18.12.2016 पर दर्ज किया गया है। रिलीजडीड मे हंसराम दर्ज है। जबकि आप द्वारा नामा0करण दर्ज करते समय हंसराम के स्थान पर हंसराज दर्ज किया है। जो आप द्वारा जानबूझ कर गलत नाम दर्ज किया गया है जबकि आप द्वारा रिकार्ड एवं दस्तावेज की जांच कर नियमानुसार जांच कर नामा0करण दर्ज करना चाहिए था। गलत नाम दर्ज करने के लिए आप दोषी है।

12/10

तहसीलदार (भू0अ0) बहरोड

तहसीलदार बहरोड जिला० अलवर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित

कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपतली–बहरोड

Scanned with CamScanner

(55)

आरोप पत्रः— श्री अमित कुमार तत्कालीन प0म0 जागुवास हाल बहरोड तर्फ गंगाबिशन

आरोप संख्या 1 – श्री अमित कुमार पटवारी तत्कालीन प0म0 बहरोड तर्फ गंगाबिशन पद पर स्थापित रहते हुए आप द्वारा ग्राम बहरोड तर्फ बलराम मे नामा0करण संख्या 787 दिनांक 28.02.2014 से मंगलराम की विरासत का नामा0करण दर्ज किया है। उक्त नामा0करण मे सलंग्न विरासत एवं आवेदक द्वारा दिये गये दस्तावेज मे हंसराम दर्ज है। जबकि आप द्वारा नामा0करण दर्ज करते समय हंसराम के स्थान पर हंसराज गलत नाम दर्ज किया गया है। गलत नाम दर्ज करने के लिए आप दोषी है।

तहसीलदार (भू0अ0) बहरोड
तहसीलदार बहरोड जिला अलवर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपुतली–बहरोड

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 के तहत जारी

तहसीलदार (भू0अ0) बहरोड़

श्री मुनेश यादव पटवारी तत्कालीन प0ग0 कांकरदोपा हाल तहसील नीमराना

आरोप संख्या 1 – आप श्री मुनेश यादव पटवारी तत्कालीन प0ग0 कांकरदोपा हाल तहसील नीमराना आप द्वारा ग्राम कल्याणपुरा का नामा0करण संख्या 356 दिनांक 05.05.2016 से मंगलराम की विरासत का नामा0करण दर्ज किया है। वारिस प्रमाण पत्र एवं आवेदक द्वारा दिये गये दस्तावेज मे नाम हंसराम दर्ज है। जबकि उक्त नामा0करण मे आप द्वारा हंसराम के स्थान पर हंसराज गलत नाम दर्ज किया गया है। गलत नाम दर्ज करने के लिए आप दोषी हैं।

तहसीलदार (भू0अ0) बहरोड

तहसीलदार बहरोड जिला, अलवर

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपुतली–बहरोड

Scanned with CamScanner

..........@gmail.com

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी

कार्यालय जिला कलक्टर (भू०अ०) अलवर

(106)

क्रमांक : भू०अ० / वि०जा० / 2023 / 3796

दिनांक : 07/02/23

ज्ञापन

श्री रामपत यादव पटवारी, तत्कालीन प०ह० जागूवास हाल प०ह० बहरोड तर्फ गंगाबिशन, तह० बहरोड, जिला अलवर को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत अनुशासनिक जांच कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस अनुशासनिक जांच कार्यवाही से संबंधित अभिकथन जिनके आधार पर जांच कार्यवाही करने का निर्णय लिया है। संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है और जिन अभिकथनों के आधार पर आरोप पत्र तैयार किये गये है वे संलग्न किये गये है।

श्री रामपत यादव पटवारी, तत्कालीन प०ह० जागूवास हाल प०ह० बहरोड तर्फ गंगाबिशन, तह० बहरोड, जिला अलवर को सूचित किया जाता है कि इस ज्ञापन की प्राप्ति तिथि से 15 दिवस की अवधि में लिखित कथन (Written Statement) प्रस्तुत करें।

श्री रामपत यादव पटवारी, तत्कालीन प०ह० जागूवास हाल प०ह० बहरोड तर्फ गंगाबिशन, तह० बहरोड, जिला अलवर को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वे अपने बचाव पक्ष की तैयारी के लिये की सुसंगत राजकीय अभिलेख का निरीक्षण चाहें अथवा उसमें से उद्धरण लेना चाहें तो उन अभिलेखों का निरीक्षण तहसील बहरोड (कार्यालय पता) में उक्त वर्णित 15 दिवस की अवधि में ही किसी भी कार्य दिवस को पूर्वान्ह में उपस्थित होकर कर सकते हैं। किन्तु यह ध्यान में रहे कि निम्न हस्ताक्षरकर्ता की राय में उक्त अभिलेख तत्प्रयोजनार्थ सुसंगत नहीं है अथवा ऐसे अभिलेखों को दिखाने की अनुज्ञा देना लोक हित के विरूद्ध है, तो ऐसे अभिलेखों का निरीक्षण करने अथवा उनमें से उद्धरण लेने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

श्री रामपत यादव पटवारी, तत्कालीन प०ह० जागूवास हाल प०ह० बहरोड तर्फ गंगाबिशन, तह० बहरोड, जिला अलवर को यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त निर्धारित समयावधि में उनका लिखित कथन प्राप्त नहीं हुआ तो उनके विरूद्ध नियमानुसार एक तरफा कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

श्री रामपत यादव पटवारी, तत्कालीन प०ह० जागूवास हाल प०ह० बहरोड तर्फ गंगाबिशन, तह० बहरोड, जिला अलवर का ध्यान राजस्थान सिविल सेवायें (आचरण) नियम 1971 के नियम 24 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रावधान उल्लेखित है कि कोई सरकारी कर्मचारी सरकार के अधीन अपने सरकारी मामले में अपने हित को बढ़ावा देने के लिए किसी उच्च प्राधिकारी पर दबाव डालने के लिये कोई राजनैतिक या अन्य प्रभाव नहीं लायेगा, न लाने की (ऐसी) कोशिश करेगा। अतः इन प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालना करें और इस प्रकरण के संदर्भ में कोई अभ्यावेदन आपके संबंध में अन्य व्यक्ति का प्राप्त हुआ तो यह उपधारणा की जायेगी कि इस अभ्यावेदन की आपको जानकारी है और आप की पहल पर ही यह प्रस्तुत हुआ है। अतः आपके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (आचरण) नियम 1971 के नियम 24 के उल्लंघन के संबंध में कार्यवाही की जायेगी।

इस ज्ञापन के प्राप्त होने की अभिस्वीकृति भिजवावें।

संलग्न :- आरोप पत्र एवं अभिकथनों का विवरण विरूद्ध
श्री रामपत यादव पटवारी, तत्कालीन प०ह० जागूवास
हाल प०ह० बहरोड तर्फ गंगाबिशन, तह० बहरोड, जिला अलवर

(डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर (भू०अ०)
अलवर

क्रमांक : भू०अ० / वि०जा० / 2023 / 3797-3800

दिनांक : 07/02/23

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. तहसीलदार (भू०अ०), बहरोड को ज्ञापन मय आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र की दो प्रति प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित कार्मिक को मूल प्रति तामील करवाई जाकर तामीली रिपोर्ट तत्काल इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
2. श्री रामपत यादव पटवारी, तत्कालीन प०ह० जागूवास हाल प०ह० बहरोड तर्फ गंगाबिशन, तह० बहरोड, जिला अलवर जरिये तहसीलदार (भू०अ०), बहरोड
3. निजि / रक्षित पत्रावली

COMPARE BY

(श्वेता यादव)
प्रभारी अधिकारी (भू०अ०)
कलक्ट्रेट, अलवर

E:\LR Documents\DE\Rajeev Sharma\DE Order.doc

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
जिला कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपुतली-बहरोड

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 के तहत जारी

(167)

राजस्थान सरकार
राजस्व विभाग

आरोप पत्र विरुद्ध श्री रामपत यादव, पटवारी तत्कालीन प०ह० जागूवास हाल प०ह० बहरोड तर्फ गंगाबिशन, तह० बहरोड, जिला अलवर, अन्तर्गत राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियमावली–1958 का नियम–16

आरोप संख्या–1 :– यह है कि आप द्वारा प०ह० जागूवास पर पदस्थापित रहते हुए ग्राम जागूवास में रिलीज डीड का नामान्तरकरण संख्या 787 दि. 18.12.2016 को दर्ज किया गया, जिसकी जांच भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दि. 18.12.2016 से कराई जाकर संबंधित ग्राम पंचायत से दि. 06.01.2017 को निर्णित कराया गया हैं। उक्त रिलीज डीड में कृषक का नाम हंसराम दर्ज है, जबकि आप द्वारा हंसराज दर्ज किया गया है। उक्त गलत इन्द्राज करने से आपकी बदयान्ति प्रदर्शित होती हैं। आपका उक्त कृत्य राजकार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता व बदयान्ति का द्योतक है, जिसके लिये आपको दोषारोपित किया जाता है।

(डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर (मू०अ०)
अलवर

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपुतली–बहरोड

Scanned with CamScanner

.......war@gmail.com

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी

(101)

कार्यालय जिला कलक्टर (भू०अ०) अलवर

क्रमांक : भू०अ० / वि०जा० / 2023 / 3801

दिनांक : 07/02/23

ज्ञापन।

श्री मुनेश यादव पटवारी, तत्कालीन प०ह० कांकरदोपा, तह० बहरोड, जिला अलवर हाल प०ह० सोहली तह० बुहाना, जिला झुंझुनू को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत अनुशासनिक जांच कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस अनुशासनिक जांच कार्यवाही से संबंधित अभिकथन जिनके आधार पर जांच कार्यवाही करने का निर्णय लिया है। संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है और जिन अभिकथनों के आधार पर आरोप पत्र तैयार किये गये हैं वे संलग्न किये गये है।

श्री मुनेश यादव पटवारी, तत्कालीन प०ह० कांकरदोपा, तह० बहरोड, जिला अलवर हाल प०ह० सोहली तह० बुहाना, जिला झुंझुनू को सूचित किया जाता है कि इस ज्ञापन की प्राप्ति दिवस से 15 दिवस की अवधि में लिखित कथन (Written Statement) प्रस्तुत करें।

श्री मुनेश यादव पटवारी, तत्कालीन प०ह० कांकरदोपा, तह० बहरोड, जिला अलवर हाल प०ह० सोहली तह० बुहाना, जिला झुंझुनू को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वे अपने बचाव पक्ष की तैयारी के लिए भी सुसंगत राजकीय अभिलेख का निरीक्षण चाहें अथवा उसमें से उद्धरण लेना चाहें तो उन अभिलेखों का निरीक्षण तहसील बहरोड (कार्यालय पता) में उक्त वर्णित 15 दिवस की अवधि में ही किसी भी कार्य दिवस को मध्यान्ह में उपस्थित होकर कर सकते हैं किन्तु यह ध्यान में रहे कि निम्न हस्ताक्षरकर्ता की राय में उक्त अभिलेख तत्प्रयोजनार्थ सुसंगत नहीं है अथवा ऐसे अभिलेखों को दिखाने की अनुज्ञा देना लोक हित के विरूद्ध है, तो ऐसे अभिलेखों का निरीक्षण करने अथवा उनमें से उद्धरण लेने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

श्री मुनेश यादव पटवारी, तत्कालीन प०ह० कांकरदोपा, तह० बहरोड, जिला अलवर हाल प०ह० सोहली तह० बुहाना, जिला झुंझुनू को यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त निर्धारित समयावधि में उनका लिखित कथन प्राप्त नहीं हुआ तो उनके विरुद्ध नियमानुसार एक तरफा कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

श्री मुनेश यादव पटवारी, तत्कालीन प०ह० कांकरदोपा, तह० बहरोड, जिला अलवर हाल प०ह० सोहली तह० बुहाना, जिला झुंझुनू का ध्यान राजस्थान सिविल सेवायें (आचरण) नियम 1971 के नियम 24 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रावधान उल्लेखित है कि कोई सरकारी कर्मचारी सरकार के अधीन अपने सरकारी मामले में अपने हित को बढ़ावा देने के लिए किसी उच्च प्राधिकारी पर दबाव डालने के लिये कोई राजनैतिक या अन्य प्रभाव नहीं लायेगा, न लाने की (एसी) कोशिश करेगा। अतः इन प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालना करें और इस प्रकरण के सदर्भ में कोई अभ्यावेदन आपके संबंध में अन्य व्यक्ति का प्राप्त हुआ तो यह उपधारणा की जावेगी कि इस अभ्यावेदन की आपको जानकारी है और आप की पहल पर ही यह प्रस्तुत हुआ है। अतः आपके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (आचरण) नियम 1971 के नियम 24 के उल्लंघन के संबंध में कार्यवाही की जावेगी।

इस ज्ञापन के प्राप्त होने की अभिस्वीकृति भिजवावें।

<u>संलग्न</u> :- आरोप पत्र एवं अभिकथनों का विवरण विरूद्ध
श्री मुनेश यादव पटवारी, तत्कालीन प०ह० कांकरदोपा, तह० बहरोड, जिला अलवर
हाल प०ह० सोहली तह० बुहाना, जिला झुंझुनू

(डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी)
o/c जिला कलक्टर (भू०अ०)
अलवर

क्रमांक : भू०अ० / वि०जा० / 2023 / 3802 – 05

दिनांक : 07/02/23

<u>प्रतिलिपि</u> :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला कलक्टर (भू०अ०), झुंझुनू को ज्ञापन मय आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र की दो प्रति प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित कार्मिक को मूल प्रति तामील करवाई जाकर तामीली रिपोर्ट तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावें।
2. श्री मुनेश यादव पटवारी, तत्कालीन प०ह० कांकरदोपा, तह० बहरोड, जिला अलवर हाल प०ह० सोहली तह० बुहाना, जिला झुंझुनू जर्ये जिला कलक्टर (भू०अ०), झुंझुनू
3. निजि / रक्षित पत्रावली

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
उप जिला कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपुतली–बहरोड

(श्वेता यादव)
प्रभारी अधिकारी (भू०अ०)
o/c कलक्ट्रेट, अलवर

E:\LR Documents\DE\Rajeev Sharma\DE Order.doc

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 के तहत जारी

(110)

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग

आरोप पत्र विरूद्ध श्री गुनेश यादव, पटवारी तत्कालीन प०ह० कांकरदोपा, तह० बहरोड, जिला अलवर हाल प०ह० सोहली, तह० बुहाना, जिला झुंझुंनू अन्तर्गत राजस्थान असैनिक सेवाएें (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियमावली–1958 का नियम–16

आरोप संख्या–1 :– यह है कि आप द्वारा प०ह० कांकरदोपा, तहसील बहरोड हाल तहसील नीमराणा पर पदस्थापित रहते हुए ग्राम कल्याणपुरा में मंगलराम की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 356 दि. 05.05.2016 को दर्ज किया गया। प्रार्थी हंसराम द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं वारिस प्रमाण पत्र में नाम हंसराम दर्ज है, जबकि आप द्वारा हंसराज गलत दर्ज किया गया है। उक्त गलत इन्द्राज करने से आपकी बदनियति प्रदर्शित होती है। आपका उक्त कृत्य राजकार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता व बदनियति का द्योतक है, जिसके लिये आपको दोषारोपित किया जाता है।

(डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर (मू०अ०)
अलवर

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
उप कलक्टर (मु.अ.)
जिला कोटपुतली–बहरोड

......@gmail.com

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी

कार्यालय जिला कलक्टर (भू०अ०) अलवर

(116)

क्रमांक : भू०अ०/वि०जा०/2023/ 3806

दिनांक 07/02/23

ज्ञापन

श्री अमित कुमार पटवारी, तत्कालीन प०ह० बहरोड तर्फ गंगाविशन हाल प०ह० रिवाली, तह० बहरोड, जिला अलवर को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत अनुशासनिक जांच कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस अनुशासनिक जांच कार्यवाही में संबंधित अभिकथन जिनके आधार पर जांच कार्यवाही करने का निर्णय लिया है। संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है और जिन अभिकथनों के आधार पर आरोप पत्र तैयार किये गये है वे संलग्न किये गये है।

श्री अमित कुमार पटवारी, तत्कालीन प०ह० बहरोड तर्फ गंगाविशन हाल प०ह० रिवाली, तह० बहरोड, जिला अलवर को सूचित किया जाता है कि इस ज्ञापन की प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित कथन (Written Statement) प्रस्तुत करे।

श्री अमित कुमार पटवारी, तत्कालीन प०ह० बहरोड तर्फ गंगाविशन हाल प०ह० रिवाली, तह० बहरोड, जिला अलवर को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वे अपने बचाव पक्ष की तैयारी के लिये भी सुसंगत सरकारी अभिलेख का निरीक्षण चाहे अथवा उसमें से उद्धरण लेना चाहें तो उन अभिलेखों का निरीक्षण तहसील बहरोड (कार्यालय पता) में उक्त वर्णित 15 दिवस की अवधि में ही किसी भी कार्य दिवस को पर्वान्ह में उपस्थित होकर कर सकते हैं। किन्तु यह ध्यान में रहे कि निम्न हस्ताक्षरकर्ता की राय में उक्त अभिलेख तत्प्रयोजनार्थ सुसंगत नहीं है अथवा ऐसे अभिलेखों का दिखाने की अनुज्ञा देना लोक हित के विरूद्ध है, तो ऐसे अभिलेखों का निरीक्षण करने अथवा उनमें से उद्धरण लेने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

श्री अमित कुमार पटवारी, तत्कालीन प०ह० बहरोड तर्फ गंगाविशन हाल प०ह० रिवाली, तह० बहरोड, जिला अलवर को यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त निर्धारित समयावधि में उनका लिखित कथन प्राप्त नहीं हुआ तो उनके विरूद्ध नियमानुसार एक तरफा कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

श्री अमित कुमार पटवारी, तत्कालीन प०ह० बहरोड तर्फ गंगाविशन हाल प०ह० रिवाली, तह० बहरोड, जिला अलवर का ध्यान राजस्थान सिविल सेवायें (आचरण) नियम 1971 के नियम 24 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रावधान उल्लेखित है कि कोई सरकारी कर्मचारी सरकार के अधीन अपने सरकारी मामले में अपने हित को बढ़ावा देने के लिए किसी उच्च प्राधिकारी पर दबाव डालने के लिये कोई राजनैतिक या अन्य प्रभाव नहीं लायेगा, न लाने की (ऐसी) कोशिश करेगा। अतः इन प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालना करें और इस प्रकरण के संदर्भ में कोई अभ्यावेदन आपके संबंध में अन्य व्यक्ति का प्राप्त हुआ तो यह उपधारणा की जावेगी कि इस अभ्यावेदन की आपको जानकारी है और आप की पहल पर ही यह प्रस्तुत हुआ है। अतः आपके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (आचरण) नियम 1971 के नियम 24 के उल्लंघन के संबंध मे कार्यवाही की जावेगी।

इस ज्ञापन के प्राप्त होने की अभिस्वीकृति भिजवावें।

संलग्न :- आरोप पत्र एवं अभिकथनों का विवरण विरूद्ध
श्री अमित कुमार पटवारी, तत्कालीन प०ह० बहरोड तर्फ गंगाविशन
हाल प०ह० रिवाली, तह० बहरोड, जिला अलवर

(डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर (भू०अ०)
अलवर

क्रमांक : भू०अ०/वि०जा०/2023/ 3807-10

दिनांक : 07/02/23

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. तहसीलदार (भू०अ०), बहरोड को ज्ञापन मय आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र की दो प्रति प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित कार्मिक को मूल प्रति तामील करवाई जाकर तामीली रिपोर्ट तत्काल इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
2. श्री अमित कुमार पटवारी, तत्कालीन प०ह० बहरोड तर्फ गंगाविशन हाल प०ह० रिवाली, तह० बहरोड, जिला अलवर जरिये तहसीलदार (भू०अ०), बहरोड
3. निजि/रक्षित पत्रावली

COMPARE BY

(श्वेता यादव)
प्रभारी अधिकारी (भू०अ०)
कलक्ट्रेट, अलवर

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
जिला कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपुतली–बहरोड

E:\LR Documents\DE\Rajeev Sharma\DE Order.doc

74

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी

(113)

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग

आरोप विवरण पत्र विरूद्ध श्री अमित कुमार, पटवारी तत्कालीन प०ह० बहरोड़ तर्फ गंगाबिशन हाल प०ह० रिवाली, तह० बहरोड़, जिला अलवर, अन्तर्गत राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियमावली–1958 का नियम–16

<u>आरोप विवरण संख्या–1</u> :– यह है कि आप द्वारा प०ह० बहरोड़ तर्फ गंगाबिशन पर पदस्थापित रहते हुए ग्राम बहरोड़ तर्फ बलराम में मंगलराम की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 787 दि. 28.02.2014 को दर्ज किया गया। प्रार्थी हंसराम द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में नाम हंसराम दर्ज है, जबकि आप द्वारा हंसराज दर्ज किया गया है। उक्त गलत इन्द्राज करने से आपकी बदयान्ति प्रदर्शित होती है। आपका उक्त कृत्य राजकार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता व बदयान्ति का द्योतक है, जिसके लिये आपको दोषारोपित किया जाता है।

(डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर (मू०अ०)
अलवर

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपुतली–बहरोड़

Scanned with CamScanner

6416 / 09/7/24

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय
कोटपूतली बहरोड़

LR 5/7

1179 / 8/7/24

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी

विषय:- विभागीय जांच श्री रामधन यादव तत्कालीन पटवार हल्का जाजूवास हाल पटवार हल्का बहरोड़ तहसील नांगलचौधरी के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण और अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत जांच बाबत।

प्रसंग:- आपके आदेश क्रमांक भू.अभि./जांच/2024/1301 दिनांक 03.7.24 की पालना में।

महोदय उपरोक्त प्रसंग प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि आपके द्वारा प्रेषित नोटिस का आरोप वाइज लिखित जवाब निम्न प्रकार पेश है।

आरोप सं. 1:- पटवार हल्का जाजूवास पर पदस्थापित रहते हुए ग्राम जाजूवास में रिलिजियस का नामान्तरकरण संख्या 787 दिनांक 18.12.16 को दर्ज किया गया जिसकी जांच नू-आवेदन से 18.12.16 को कराई जाकर संबंधित ग्राम पंचायत से दिनांक 6.1.17 को निर्णित कराया गया है। उक्त रिलिजियस में कृषक का नाम इन्द्राज हुआ है जबकि आप द्वारा इसका दर्ज किया। उक्त गलत इन्द्राज करके से आपकी कार्यशैली प्रदर्शित होती है आपका उक्त कृत्य राजस्थान में घोर लापरवाही, उदासीनता व कर्तव्यविमुखता का द्योतक है जिसके लिए आपको दोषी ठहराया जाता है।

जवाब:- श्रीमानजी से निवेदन है कि यह एक मानवीय त्रुटि से लिपिकीय त्रुटि हुई है। मेरी जानकारी में आने के पश्चात श्रीमान जी से अवगत करवाकर। श्रीमान जी के आदेश क्रमांक राजस्व/नि./2022/423 दिनांक 19.7.22 की पालना में नामान्तरण संख्या 955 दर्ज कर दिनांक 26.7.22 को स्वीकृत करवा दिया/ग्राम के नाम इन्द्राज को शुद्ध कर दिया गया है। इसमें मेरी कोई बदनीयती नहीं थी। श्रीमान जी से निवेदन है कि आरोप का निस्तारण है श्रीमान जी जांच को इसी स्तर पर ड्रॉप करने का जवाब तैयार कर श्रीमान जी की सेवा में पेश है।

643
09-07-24

COMPARE BY

संलग्न:
पद पटवारी
हल्का रघुनाथपुरा
दिनांक 5.7.24

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली–बहरोड़

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अ
2005 के तहत ज

श्रीमान जिला - कलक्टर महोदय
कोटपूतली - बहरोड (राज०)

विषय:- विभागीय जांच श्री मुकेश तत्कालीन पटवार हल्का - काकरदोपा हाल पटवार हल्का सोढ़ली, तहसील नीमराना, अनुशासन के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम 1958 नियम - 16 अधीन जांच बाबत्।

प्रसंग:- आपके आदेश क्रमांक/मुख्या०/सख्या/2024/1303 दिनांक 3/7/2024 की पालना में।

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि आप द्वारा प्रेषित ज्ञापन का आरोप तालिका निम्न प्रकार सेवा में पेश है।

आरोप सख्या:-1 यह है कि आप द्वारा प०क०० काकरदोपा, तहसील-बहरोड ग्राम- कल्याणपुरा में मंगलराम की विरासत का नामान्तरण सख्या - 356 दिनांक 05/05/2016 को दर्ज किया गया। प्रार्थी हंसराम द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवम वारिस प्रमाण पत्र के नाम हंसराम दर्ज है। जबकी आप द्वारा हंसराज गलत दर्ज किया गया है। उक्त गलत इन्द्राज करने से आपकी बदयानी प्रदर्शित होती है। आपका उक्त कृत्य राजकार्य के प्रति लापरवाही उदासीनता व बदयानी का द्योतक है। जिसके लिए आपको दोषरोपित किया जाता है।

जवाब:- महोदय उपरोक्त आरोप के संदर्भ में तत्कालिक पटवारी हल्का-काकरदोपा पदस्थापित रहते हुए ग्राम-कल्याणपुरा में मंगलराम कि विरासत का इं०न०-356 दिनांक 05/05/2016 को दर्ज किया गया था जिस समय

642
9-7-24

जायद रबी गिरदावरी चल रही थी तथा बाढ़-बाधा इत्यादि का काम चल रहा था। अर्थात काम कि अधिकता होने कारण प्रार्थी द्वारा ग्राम-बहरोड तरफ बलराम इं०न०-787 दर्ज दिनांक 28/02/2024 राजस्व अधिकारी द्वारा फैसला दिनांक 10/3/2014 के द्वारा निर्णय कर स्वीकृत किया गया था। जिसकी छायाप्रति के आधार पर उक्त इं०न० मे हंसराज हि दर्ज होने के कारण ग्राम- कल्याणपुरा मे इं०न०-356 दिनांक 05/05/2016 मेरे द्वारा दर्ज किया गया था। इस प्रकार उक्त नामान्तकरण दर्ज करने मे मेरी कोई बदनीयती नही थी।

COMPARE BY
फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
डिप्टी कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली–बहरोड

P.T.O

Scanned with CamScanner

...ा 136 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड के
...ा क्रमांक | 8411 दिनांक 28|12|2022 कि पालना मे ग्राम-
कल्याणपुरा मे ना० स- 5924 दिनांक 30|4|2024 न्यायआदेश
से हंसराज कि जगह हंसराम शुद्ध कर दिया है।
श्रीमान जी प्रार्थी की कोई बदनियती नही थी ना ही
राजकार्य के प्रति कोई उदासीनता थी। अत: लगाये गये
आरोप को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

(signature)

प्रार्थी

मुकेश यादव

पटवारी हाल-पटवारी-सोहली तहसील-बुहाना, जिला-झुन्झुनु
तत्कालीन पटवारी-काकरदोपा तहसील-बहरोड

सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 के तहत जारी

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली-बहरोड

6

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 के तहत जारी

सेवा में,

6846 दिनांक 09/7/24

LR 10426 09/7/24

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
कोटपूतली - बहरोड़ (राज०)

विषय:- विभागीय जाँच श्री अमित यादव, पटवार हल्का बहरोड़ तर्फ (अतिरिक्त) गंगाविशन हाल पटवार हल्का सिहाली बहरोड़ के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन जाँच बाबत।

प्रसंग:- आपके आदेश क्रमांक/भू.अ./संस्था/2024/1305 दिनांक 03/7/24 की पालना में।

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि आप द्वारा प्रेषित नोटिस का आरोप बाबत लिखित जवाब निम्न प्रकार सेवा में पेश है -

आरोप सं.-1 - यह है कि आप द्वारा प० म० बहरोड़ तर्फ गंगाविशन पर पदस्थापित रहते हुये ग्राम बहरोड़ तर्फ बलराम में मंगलराम की विरासत का नामा. सं. 787 दिनांक 28.02.14 को दर्ज किया गया था। प्रार्थी हंसराम द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में नाम० हंसराम दर्ज है जबकि आप द्वारा हंसराज दर्ज किया गया है। उक्त गलत इन्द्राज करने से आपकी लापरवाही प्रदर्शित होती है आपका उक्त कृत्य राजकार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता व कदाचार का द्योतक है जिसके लिए आपको दोषारोपित किया जाता है।

जवाब:- महोदय उपरोक्त आरोप के संदर्भ में पटवारी हल्का बहरोड़ तर्फ गंगाविशन पर पद पदस्थापित रहते हुये अतिरिक्त चार्ज पटवारी हल्का बहरोड़ तर्फ डूंगरी का अतिरिक्त कार्यभार भी प्रार्थी के पास था। कार्य की अधिकता (वसूली, गिरदावरी व अन्य कार्य) के कारण बहरोड़ तर्फ बलराम में श्री मंगलराम की विरासत का नामा. 787 दिनांक 28.02.2014 में श्री हंसराम का नाम हंसराज सहवन से दर्ज हो गया। इसमें मात्र लिपिकीय भूल है। जो भू.अ. निरीक्षक व श्रीमान तहसीलदार साहब द्वारा बराबर जाँच एवं स्वीकृति के समय भी यह त्रुटि पकड़ में नहीं आयी। इसमें अन्य कोई प्रार्थी की बदनियति नहीं है जिसको भी श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय बहरोड़ के न्यायालय में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थी के नाम दुरुस्तीकरण प्रकरण/368 दिनांक 30.06.2023 के आदेश की पालना में नामा. संख्या 1013 दिनांक 05.07.2023 को स्वीकृत किया जा चुका है।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी के पास कार्य की

641
03-07-24

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्राते प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली–बहरोड़

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 के तहत जारी

अधिकता होने व अतिरिक्त पटवार मंडल बहरोड तर्फ इंगाहपी का चार्ज होने के कारण लिपिकीय भूल से हंसराम की जगह ~~[illegible]~~ हंसराज दर्ज हो गया। इसमें प्रार्थी की कोई बदनियति नहीं थी। ना ही राजकार्य के प्रति कोई उदासीनता थी। अतः लगाये गये आरोप स्वीकार नहीं है। अतः लगाये गये आरोप को निरस्त करवाने की कृपा करें।

(हस्ताक्षर)
प्रार्थी

नाम- अमित कुमार
पटवार हल्का सिधाली तत्कालीन
पटवारी बहरोड तर्फ गंगाबिशन
तह० बहरोड जिला कोटपूतली-
बहरोड (राज०)

दिनांक - 05/7/24

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
[illegible] कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली-बहरोड

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपुतली–बहरोड़

E-mail:- lr.dmkotputlibehror@gmail.com

क्रमांक :– भू.अ. / वि.जा. / 2024 / 11373

निर्णय दिनांक :– 06.08.2024

आदेश

श्री रामपत यादव, तत्कालीन पटवारी प.ह. जागुवास, तहसील बहरोड़ हाल प.ह. बहरोड़ तर्फ गंधानिशन,
तहसील बहरोड़, जिला कोटपुतली–बहरोड़ विरुद्ध जिला कार्यालय अलवर में दिनांक 18.02.2022 को प्रार्थी
श्री हंसराम पुत्र श्री मंगलराम निवासी कल्याणपुरा, तहसील बहरोड़ ने स्वयं उपस्थित होकर शिकायत प्रस्तुत
की । प्राप्त प्रार्थना–पत्र पर उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को जांच बाबत पत्र क्रमांक 3740 दिनांक 07.03.
2022 लिखा गया । उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ से पुनः प्राप्त स्पष्ट रिपोर्ट पत्रांक 364 दिनांक 29.06.2022
के पश्चात तहसीलदार बहरोड़ को पत्र क्रमांक 16639 दिनांक 29.09.2022 द्वारा आरोप पत्रादि प्राप्त करने
बाबत लिखा गया व तहसीलदार बहरोड़ से पत्रांक 1787 दिनांक 13.10.2022 द्वारा प्राप्त आरोप–पत्र, आरोप
विवरण–पत्र मय प्रपत्र अ,ब,स,द के पश्चात जिला कार्यालय अलवर द्वारा कार्मिक के विरुद्ध आपन क्रमांक
3796 दिनांक 07.02.2023 से सी.सी.ए. नियम–16 के तहत आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र जारी किये गये
तथा उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को पत्र क्रमांक 7971 दिनांक 05.04.2023 द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त
किया जाकर जांच अधिकारी से प्राप्त जांच रिपोर्ट मय पत्रावली क्रमांक 138 दिनांक 07.05.2024 के पश्चात
राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियमावली–1958 का नियम–16 के तहत
कार्यवाही प्रारम्भ की गई विवरण निम्नानुसार हैः–

<u>आरोप संख्या</u> :– 1 यह है कि आप द्वारा प.ह. जागूवास पर पदस्थापित रहते हुए ग्राम जागूवास में रिलीज
डीड का नामान्तरकरण संख्या 787 दिनांक 18.12.2016 को दर्ज किया गया, जिसकी जांच भू–अभिलेख
निरीक्षक द्वारा दिनांक 18.12.2016 से कराई जाकर सम्बन्धित ग्राम पंचायत से दिनांक 06.01.2017 को
निर्णित कराया गया है । उक्त रिलीज डीड में कृषक का नाम हंसराम दर्ज है जबकि आप द्वारा हंसराज
दर्ज किया गया है । उक्त गलत इन्द्राज करने से आपकी बदनियति प्रदर्शित होती है । आपका उक्त कृत्य
राजकार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता व बदयान्ति का द्योतक है, जिसके लिये आपको दोषारोपित किया
जाता है ।

प्रकरण में आरोपी कार्मिक द्वारा दिनांक 04.07.2024 को आरोप पत्र का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई पर
इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया ।

<u>आरोप संख्याः</u>– 1 के क्रम में कार्मिक का कथन है कि यह एक मानवीय व लिपिकीय भूल हुई है ।
जानकारी में आने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को अवगत करवा दिया गया था, नियम 136 के
तहत नाम शुद्धीकरण आदेश क्रमांक राजस्व / कोर्ट / 2022 / 423 दिनांक 19.07.2023 की पालना में नामा
सं. 955 दर्ज कर दिनांक 26.07.2022 को स्वीकृत करवा कर हंसराज से हंसराम शुद्ध कर दिया गया है ।
इसमें कार्मिक की कोई बदनियत नही है ।

कार्मिक को व्यक्तिगत सुने जाने, कार्मिक द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों का अवलोकन,
अध्ययन, मनन एवं विश्लेषण किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार
<u>आरोप संख्याः</u>– 1 के क्रम में कार्मिक का कथन है कि यह एक मानवीय व लिपिकीय भूल हुई है । प्रकरण
संज्ञान में आने के बाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ में प्रा... नामा. सं.
बहरोड़ के आदेश क्रमांक / राजस्व / कोर्ट / 2022 / 423 ...

Signature valid
Digitally signed by Kalpana Agarwal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.08.30 17:28:32 IST
Reason: Approved

COMPARE BY
फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
भू.अ. कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपुतली–बहरोड़

RajKaj Ref No.: 10145580

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 के तहत जारी

दर्ज कर दिनांक 26.07.2022 को स्वीकृत करवाकर पार्टी का नाम [illegible] से [illegible] कर दिया गया था। कार्मिक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सजगता एवं ध्यानपूर्वक अध्ययन नहीं किया जाकर नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत करवा दिया गया जोकि गलत है। कार्मिक पर आरोपित आरोप साबित होता है।

अतः कार्मिक पर आरोपित आरोप साबित होने के कारण श्री रामपत यादव तत्कालीन पटवारी जागुवास, तहसील बहरोड़, जिला कोटपूतली–बहरोड़ को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत दोषी पाये जाने पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। इस दण्डादेश का कार्मिक की सेवा पुस्तिका में अंकन किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलक्टर (भू.अ.)
कोटपूतली–बहरोड़
दिनांक– 30.08.2024

क्रमांक:– भू.अ. / वि.जा. / 2024 / 1974-77
प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. उपखण्ड अधिकारी बहरोड़।
2. तहसीलदार (भू.अ.) बहरोड़ को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्णय का अंकन 03 दिवस में कार्मिक के सेवाभिलेख में कर पालना रिपोर्ट मय सेवाभिलेख में अंकन किये गये पृष्ठ की छाया प्रति के प्रेषित करें।
3. श्री रामपत यादव, तत्कालीन पटवारी प.ह. जागुवास, तहसील बहरोड़ हाल प.ह. बहरोड़ तर्फ गंगाबिशन, जिला कोटपूतली–बहरोड़।
4. निजि / रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर (भू.अ.)
कोटपूतली–बहरोड़

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली–बहरोड़

Signature valid
Digitally signed by Kalpana Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.08.30 17:28:32 IST
Reason: Approved

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 के तहत जारी

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपुतली–बहरोड़

E-mail:- lr.dmkotputlibehror@gmail.com

क्रमांक – भू.अ./विजा./2024/1378

आदेश

निर्णय दिनांक – 06.08.2024

श्री मुकेश यादव पटवारी तत्कालीन प.ह. कांकरदोपा, तहसील बहरोड़ हाल प.ह. [illegible], तहसील [illegible], जिला झुन्झुनूं के विरुद्ध जिला कार्यालय अलवर में दिनांक 18.02.2022 को प्रार्थी श्री हंसराम पुत्र श्री मंगलराम निवासी कल्याणपुरा तहसील बहरोड़ ने स्वयं उपस्थित होकर शिकायत प्रस्तुत की । प्राप्त शिकायत–पत्र पर उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को जांच बाबत पत्र क्रमांक 3740 दिनांक 07.03.2022 लिखा गया । उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ से पुनः प्राप्त रिपोर्ट पत्रांक 304 दिनांक 21.06.2022 के पश्चात तहसीलदार बहरोड़ को पत्र क्रमांक 10630 दिनांक 29.09.2022 द्वारा आरोप पत्रादि प्राप्त करने बाबत लिखा गया व तहसीलदार बहरोड़ से पत्रांक 1787 दिनांक 13.10.2022 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र, आरोप विवरण–पत्र मय प्रपत्र अ,ब,स,द के पश्चात जिला कार्यालय अलवर द्वारा कार्मिक के विरुद्ध आदेश क्रमांक 3801 दिनांक 07.02.2023 से सी.सी.ए. नियम–16 के तहत आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र जारी किये गये तथा उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को पत्र क्रमांक 7975 दिनांक 05.04.2023 द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया जाकर जांच अधिकारी से प्राप्त जांच रिपोर्ट मय पत्रावली क्रमांक 191 दिनांक 26.03.2024 के पश्चात राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियमावली–1958 के नियम–16 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गई विवरण निम्नानुसार है:–

<u>आरोप संख्या</u> :– 1 यह है कि आप द्वारा प.ह. कांकरदोपा, तहसील बहरोड़ हाल तहसील नीमराना पर पदस्थापित रहते हुए ग्राम कल्याणपुरा में मंगलराम की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 356 दिनांक 05.05.2016 को दर्ज किया गया । प्रार्थी हंसराम द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं वारिस प्रमाण–पत्र में नाम हंसराम दर्ज है, जबकि आप द्वारा हंसराज गलत दर्ज किया गया है । उक्त गलत इन्द्राज करने से आपकी बदयान्ति प्रदर्शित होती है । आपका उक्त कृत्य राजकार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता व बदयान्ति का द्योतक है, जिसके लिये आपको दोषारोपित किया जाता है ।

प्रकरण में आरोपी कार्मिक द्वारा दिनांक 04.07.2024 को आरोप पत्र का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई पर इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया ।

<u>आरोप संख्या</u>:– 1 के क्रम में कार्मिक का कथन है कि कार्मिक द्वारा फसल रबी गिरदावरी व ढाल–बांछ के कार्य की अधिकता के चलते ग्राम बहरोड़ तर्फ बलराम के नामा. सं. 787 दिनांक 28.02.2014 राजस्व अधिकारी द्वारा स्वीकृतशुदा नामा की छायाप्रति के आधार पर प.ह. हल्का कांकरदोपा का नामा. 356 दिनांक 05.05.2016 दर्ज किया गया था जिसमें कार्मिक की कोई बदनियति नहीं थी । जानकारी में आने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को अवगत करवा दिया गया था, नियम 136 के तहत नाम शुद्धीकरण आदेश क्रमांक राजस्व/कोर्ट/2022/844 दिनांक 28.12.2022 हंसराज से हंसराम के आदेश हो चुके थे किन्तु माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर, बहरोड़ के मु.नं. 42/23.06.2021 द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के चलते पालना नहीं हो पाई थी । इसमें कार्मिक की बदनियति या कार्य के प्रति उदासीनता नहीं रही है ।

कार्मिक को व्यक्तिगत सुने जाने, कार्मिक द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों का अवलोकन, अध्ययन, मनन एवं विश्लेषण किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार

Signature valid
Digitally signed by Kalpana Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.08.20 17:28:33 IST
Reason: Approved

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपुतली–बहरोड़

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 के तहत जारी

आरोप संख्याः— 1 के क्रम में कार्मिक का कथन है कि कार्य की अधिकता व अन्य पटवारी द्वारा दर्ज / स्वीकृत नामा. की छाया प्रति के आधार पर नामा. दर्ज किया गया है जो एक मानवीय व लिपिकीय भूल है । प्रकरण संज्ञान में आने के बाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ में प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के आदेश क्रमांक / राजस्व / कोर्ट / 20.. / 844 दिनांक 28.12.2022 द्वारा हंसराज के स्थान पर हंसराम नाम शुद्ध करने का आदेश पारित कर दिया गया था । कार्मिक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सजगता एवं ध्यानपूर्वक अध्ययन नहीं किया जाकर नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत करवा दिया गया जोकि गलत है । कार्मिक पर आरोपित आरोप साबित होता है ।

अतः कार्मिक पर आरोपित आरोप साबित होने के कारण मुनेश यादव पटवारी, तत्कालीन प.ह. कांकरदोपा, तहसील बहरोड़ हाल प.ह. सोहली, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनु को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत दोषी पाये जाने पर एक वार्षिक वेतन वृद्धी असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जाता है । इस दण्डादेश का कार्मिक की सेवा पुस्तिका में अंकन किया जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलक्टर (भू.अ.)
कोटपूतली—बहरोड़
दिनांकः— 30.08.2024

क्रमांकः— भू.अ. / वि.जा. / 2024 / 1379-1383
प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ ।
2. उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनु । उक्त निर्णय का अंकन 03
3. तहसीलदार (भू.अ.) बुहाना, जिला झुन्झुनु को प्रेषित कर लेख है कि सेवाभिलेख में अंकन किये गये पृष्ठ की दिवस में कार्मिक के सेवाभिलेख में कर पालना रिपोर्ट मय छाया प्रति के प्रेषित करें ।
4. श्री मुनेश यादव पटवारी, तत्कालीन प.ह. कांकरदोपा, तहसील बहरोड़ हाल प.ह. सोहली, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनु ।
5. निजि / रक्षित पत्रावली ।

जिला कलक्टर (भू.अ.)
कोटपूतली—बहरोड़

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली—बहरोड़

Signature valid

Digitally signed by Kalpana Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.08.30 ..:28:33 IST
Reason: Approved

Raj Ref No.: 10145543

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अधिनि
2005 के तहत जा

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपुतली–बहरोड़

E-mail:- lr.dmkotputlibehror@gmail.com

क्रमांक :– भू.अ./नि.जा./2024/17968

आदेश

निर्णय दिनांक :– 06.08.2024

श्री अमित कुमार पटवारी, तत्कालीन प.ह. बहरोड़ तर्फ गंगाबिशन हाल प.ह. [illegible], तहसील बहरोड़ जिला कोटपुतली–बहरोड़ के विरूद्ध जिला कार्यालय अलवर में दिनांक 18.02.2022 को प्रार्थी श्री हंसराम पुत्र श्री मंगलराम निवासी कल्याणपुरा तहसील बहरोड़ ने स्वयं उपस्थित होकर शिकायत प्रस्तुत की । प्राप्त प्रार्थना–पत्र पर उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को जांच बाबत पत्र क्रमांक 3740 दिनांक 07.03.2022 लिखा गया । उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ से पुनः प्राप्त स्पष्ट रिपोर्ट पत्रांक 364 दिनांक 29.06.2022 के पश्चात तहसीलदार बहरोड़ को पत्र क्रमांक 16639 दिनांक 29.09.2022 द्वारा आरोप पत्रादि प्राप्त करने बाबत लिखा गया व तहसीलदार बहरोड़ से पत्रांक 1787 दिनांक 13.10.2022 द्वारा प्राप्त आरोप–पत्र, आरोप विवरण–पत्र मय प्रपत्र अ,ब,स,द के पश्चात जिला कार्यालय अलवर द्वारा कार्मिक के विरूद्ध ज्ञापन क्रमांक 3806 दिनांक 07.02.2023 से सी.सी.ए. नियम–16 के तहत आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र जारी किये गये तथा उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को पत्र क्रमांक 7975 दिनांक 05.04.2023 द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया जाकर जांच अधिकारी से प्राप्त जांच रिपोर्ट मय पत्रावली क्रमांक 191 दिनांक 26.09.2024 के पश्चात राजस्थान असैनिक सेवाऐ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियमावली–1958 का नियम–16 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गई विवरण निम्नानुसार है:–

<u>आरोप संख्या</u> :– 1 यह है कि आप द्वारा प.ह. बहरोड़ तर्फ गंगाबिशन पर पदस्थापित रहते हुए ग्राम बहरोड़ तर्फ बलराम में मंगलराम की विरासत का नामान्तरकरण संख्यां 787 दिनांक 28.02.2014 को दर्ज किया गया । प्रार्थी हंसराम द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र में नाम हंसराम दर्ज है, जबकि आप द्वारा हंसराज दर्ज किया गया है । उक्त गलत इन्द्राज करने से आपकी बदनियति प्रदर्शित होती है । आपका उक्त कृत्य राजकार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता व बदयान्ति का द्योतक है, जिसके लिये आपको दोषारोपित किया जाता है ।

प्रकरण में आरोपी कार्मिक द्वारा दिनांक 04.07.2024 को आरोप पत्र का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई पर इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया ।

<u>आरोप संख्या</u>:– 1 के क्रम में कार्मिक का कथन है कि कार्मिक के पास प.ह. बहरोड़ तर्फ डूंगरसी का अतिरिक्त कार्यभार व कार्य की अधिकता के चलते सहवन से मानवीय व लिपिकीय भूल हुई है । जानकारी में आने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को अवगत करवा दिया गया था, नियम 136 के तहत नाम शुद्धीकरण आदेश क्रमांक राजस्व/कोर्ट/2022/368 दिनांक 30.06.2022 की पालना में नामा सं. 1013 दर्ज कर दिनांक 22.07.2022 को स्वीकृत करवा कर हंसराज से हंसराम शुद्ध कर दिया गया है । इसमें कार्मिक की कोई बदनियति नहीं है ।

कार्मिक को व्यक्तिगत सुने जाने, कार्मिक द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों का अवलोकन, अध्ययन, मनन एवं विश्लेषण किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

<u>आरोप संख्या</u>:– 1 के क्रम में कार्मिक का कथन है कि यह एक मानवीय व लिपिकीय भूल [illegible] । प्रकरण संज्ञान में आने के बाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ में प्रा[illegible] [illegible] में नामा. स. [illegible] बहरोड़ के आदेश क्रमांक/राजस्व/कोर्ट/2022/368 [illegible]

Signature valid
Digitally signed by Kalpana Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.08.20 [illegible]:28:33 IST
Reason: Approved

Raj Ref No.: 10145530

COMPARE BY
फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपुतली–बहरोड़

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी

1013 दर्ज कर दिनांक 22.07.2022 को स्वीकृत करवाकर प्रार्थी का नाम हंसराज से हंसराम कर दिया गया था । कार्मिक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सजगता एवं ध्यानपूर्वक अध्ययन नहीं किया जाकर नामान्तरकर दर्ज कर स्वीकृत करवा दिया गया जोकि गलत है । कार्मिक पर आरोपित आरोप साबित होता है ।

अतः कार्मिक पर आरोपित आरोप साबित होने के कारण अमित कुमार पटवारी, तत्कालीन प.ह. बहरोड़ तर्फ गंगाबिशन हाल प.ह. रिवाली, तहसील बहरोड़, जिला कोटपूतली–बहरोड़ को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) निय 1958 के नियम 16 के तहत दोषी पाये जाने पर एक वार्षिक वेतन वृद्धी असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जाता है । इस दण्डादेश का कार्मिक की सेवा पुस्तिका में अंकन किया जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलक्टर (भू.अ.)
कोटपूतली–बहरोड़
दिनांकः– 30.08.2024

क्रमांकः– भू.अ. / दि.जा. / 2024 / 1969-72

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ ।
2. तहसीलदार (भू.अ.) बहरोड़ को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्णय का अकंन 03 दिवस में कार्मिक के सेवाभिलेख में कर पालना रिपोर्ट मय सेवाभिलेख में अंकन किये गये पृष्ठ की छाया प्रति के प्रेषित करें ।
3. श्री अमित कुमार पटवारी, तत्कालीन प.ह. बहरोड़ तर्फ गंगाबिशन हाल प.ह. रिवाली, तहसील बहरोड़, जिला कोटपूतली–बहरोड़ ।
4. निजि / रक्षित पत्रावली ।

जिला कलक्टर (भू.अ.)
कोटपूतली–बहरोड़

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली–बहरोड़

Signature valid

Digitally signed by Kalpana Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.08.30 17:28:33 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10145530

Scanned with CamScanner